पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–17] रुड़की, शनिवार, दिनांक 28 मई, 2016 ई0 (ज्येष्ठ 07, 1938 शक सम्वत्) [संख्या–22

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	285–288	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	505–519	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	135–161	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

01 सितम्बर, 2015 ई0

संख्या 2291 / X–1–2015–04(26) / 2008–श्री अमूल्य रतन सिन्हा, भारतीय वन सेवा (बैच वर्ष 1983) को नियमित चयनोपरान्त, प्रमुख वन संरक्षक (वेतनमान ₹ 75,000–80,000), श्रेणी में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री सिन्हा को प्रमुख वन संरक्षक के पद विशेष पर तैनाती के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से,
डॉ0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव।

तैनाती आदेश

31 अगस्त, 2015 ई0

संख्या 3032 / X–1–2015–04(04) / 2014–श्री डी0वी0एस0 खाती, भा0वा0से0, अपर प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड को वर्तमान पदभार के साथ–साथ, अग्रिम आदेशों तक प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव), उत्तराखण्ड के पद का कार्यभार अतिरिक्त रूप से प्रदान किया जाता है।

डॉ0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव।

गृह अनुभाग–8

अधिसूचना

06 मई, 2016 ई0

संख्या 405 / XX(8)2015–11(18)2015–श्री राज्यपाल महोदय, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 सपठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1974) की धारा 2 की उपधारा (ध) में प्रदत्त उपबन्धों एवं इस सम्बन्ध में प्रदत्त समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद रूद्रप्रयाग के तहत संचालित अस्थाई पुलिस थाना, सोनप्रयाग को नियमित रूप से गठित करते हुए अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल महोदय, यह भी निर्देश देते हैं कि थाना सोनप्रयाग के नियमित रूप से अधिसूचित होने के फलस्वरूप संलग्न परिशिष्ट–1 में उल्लिखित, नियमित पुलिस क्षेत्रान्तर्गत 19 ग्राम, थाना सोनप्रयाग में सम्मिलित होंगे तथा पैतृक थाना गुप्तकाशी के अधिकारिता क्षेत्र से निकाल दिये जायेंगे।

परिशिष्ट–1

जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत थाना सोनप्रयाग में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों की सूची।

(शासनादेश संख्या 405/XX(8)2015–11(18)2015, दिनांक 06 मई, 2016)

क्रम संख्या	ग्राम/मोहल्ला का नाम	नाम अंग्रेजी में	तहसील
01.	त्रियुगीनारायण	TRIYUGINARAYAN	रूद्रप्रयाग
02.	मुनकटिया	MUNKATIYA	रूद्रप्रयाग
03.	तोसी	TOSI	रूद्रप्रयाग
04.	न्यालसू	NYALSU	रूद्रप्रयाग
05.	कोनगढ़	KONGARH	रूद्रप्रयाग
06.	गौरीकुण्ड	GOURIKUND	रूद्रप्रयाग
07.	गौरीगाँव	GAURIGAUN	रूद्रप्रयाग
08.	श्री केदारनाथ	SRI KEDARNATH	रूद्रप्रयाग
09.	गरूडिया	GARUDIA	रूद्रप्रयाग
10.	घिनुरपानी	GHINURPANI	रूद्रप्रयाग
11.	रामबाड़ा	RAMBARA	रूद्रप्रयाग
12.	भीमबली	BHIMBALI	रूद्रप्रयाग
13.	जंगलचट्टी	JUNGLECHATTI	रूद्रप्रयाग
14.	रामपुर	RAMPUR	रूद्रप्रयाग
15.	सीतापुर	SITAPUR	रूद्रप्रयाग
16.	जोशीगाँव	JOSHIGAUN	रूद्रप्रयाग
17.	मजोशी	MAJOSHI	रूद्रप्रयाग
18.	सोनप्रयाग	SONPRAYAG	रूद्रप्रयाग
19.	किमाणा	KIMANA	रूद्रप्रयाग

आज्ञा से,

डा0 उमाकान्त पंवार,

प्रमुख सचिव।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग

अधिसूचना

09 मई, 2016 ई0

संख्या 429/XVII–3/2016–04/(08)/2016–एतद्द्वारा, श्री राज्यपाल महोदय, वक्फ अधिनियम, 1995 (वक्फ अधिनियम, 2013 के द्वारा यथा संशोधित) की धारा–65 की उपधारा–2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस्लामिया स्कूल स्थित–अण्डाखेत, मसूरी (देहरादून) स्थित वक्फ संख्या–114, जिसके मुतवल्ली का स्थान वर्तमान में रिक्त है, की नियमानुसार देख–रेख हेतु उप जिलाधिकारी, मसूरी को अपने कार्यों एवं दायित्वों के साथ–साथ अतिरिक्त रूप से अग्रिम आदेशों तक प्रशासक नामित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उप जिलाधिकारी, मसूरी को इस अतिरिक्त कार्य के लिए पृथक से कोई वेतन/भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।

आज्ञा से,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग–3

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

06 मई, 2016 ई0

संख्या 670/XXXii/2016/37(02)/2016–तात्कालिक प्रभाव से श्री गंगागिरी गुंसाई, व्यवस्थाधिकारी, को नियमित चयनोपरान्त, वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी के पद वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400 पर पदोन्नत करते हुये, उनकी वर्तमान तैनाती स्थल, उत्तराखण्ड निवास, नई दिल्ली में तैनात किये जाने कि श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री गंगागिरी गुंसाई, वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक की प्रति राज्य सम्पत्ति अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

विनय शंकर पाण्डेय,
अपर सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 22 हिन्दी गजट/233–भाग 1–2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 28 मई, 2016 ई0 (ज्येष्ठ 07, 1938 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

April 19, 2016

No. 73/UHC/XIV-72/Admin.A/2003--Sri Brijendra Singh, 4th Additional District & Sessions Judge, Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 15 days *w.e.f.* 30.03.2016 to 13.04.2016 with permission to suffix 14.04.2016 & 15.04.2016 as Govt. holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

April 28, 2016

No. 76/UHC/Admin.A/2016--Smt. Monika Mittal, Registrar, State Consumer Redressal Commission, Uttarakhand, Dehradun is repatriated and posted as Additional District & Sessions Judge, Khatima, District Udham Singh Nagar.

NOTIFICATION

April 28, 2016

No. 77/UHC/Admin.A/2016--Sri Manoj Garbyal, 2nd Additional District & Sessions Judge, Rishikesh, District Dehradun is transferred and posted as Additional District & Sessions Judge, Laksar, District Hardwar, *vice* Sri Sujeet Kumar.

NOTIFICATION

April 28, 2016

No. 78/UHC/Admin.A/2016--Sri Sujeet Kumar, Additional District & Sessions Judge, Laksar, District Hardwar is transferred and posted as Additional District & Sessions Judge, Ramnagar, District Nainital, in the vacant Court.

NOTIFICATION

April 28, 2016

No. 79/UHC/Admin.A/2016--Sri Mithilesh Jha, OSD/Deputy Secretary, State legal Services Authority, Uttarakhand, Nainital is repatriated and posted as Chief Judicial Magistrate, Uttarkashi, *vice* Sri Arun Vohra.

NOTIFICATION

April 28, 2016

No. 80/UHC/Admin.A/2016--Sri Rajoo Kumar Srivastava, Chief Judicial Magistrate, Pauri Garhwal is transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar, in the vacant post.

NOTIFICATION

April 28, 2016

No. 81/UHC/Admin.A/2016--Sri Dharmendra Singh Adhikari, Civil Judge (Sr. Div.), Roorkee, District Hardwar is transferred and posted as Chief Judicial Magistrate, Pauri Garhwal, *vice* Sri Rajoo Kumar Srivastava.

NOTIFICATION

April 28, 2016

No. 82/UHC/Admin.A/2016--Sri Manindra Mohan Pandey, Additional Judge, Family Court, Rishikesh, District Dehradun is repatriated and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Laksar, District Hardwar, *vice* Sri Seash Chand.

NOTIFICATION

April 28, 2016

No. 83/UHC/Admin.A/2016--Sri Sudhir Tomar, Additional Civil Judge (Sr. Div.), Roorkee, District Hardwar is posted as Civil Judge (Sr. Div.), Roorkee, District Hardwar, *vice* Sri Dharmendra Singh Adhikari.

NOTIFICATION

April 28, 2016

No. 84/UHC/Admin.A/2016--Sri Laxman Singh, Civil Judge (Sr. Div.), Vikasnagar, District Dehradun is transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Udham Singh Nagar, *vice* Ms. Parul Gairola.

NOTIFICATION

April 28, 2016

No. 85/UHC/Admin.A/2016--Sri Mohd. Yusuf, 3rd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun is posted as Principal Magistrate/Judicial Magistrate (1st Class), Juvenile Justice Board, Dehradun, in the vacant Court.

NOTIFICATION

April 28, 2016

No. 86/UHC/Admin.A/2016--Smt. Gunjan Singh, 1st Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun is transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Pauri Garhwal, in the vacant Court.

NOTIFICATION

April 28, 2016

No. 87/UHC/Admin.A/2016--Sri Yogendra Kumar Sagar, Civil Judge (Sr. Div.)/Secretary, District Legal, Services Authority, Pauri Garhwal is repatriated and posted as 2nd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Udham Singh Nagar, in the vacant Court.

NOTIFICATION

April 28, 2016

No. 88/UHC/Admin.A/2016--Sri Mohammad Yaqoob, Civil Judge (Jr. Div.), Rishikesh, District Dehradun is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun, *vice* Ms. Chhavi Bansal.

NOTIFICATION

April 28, 2016

No. 89/UHC/Admin.A/2016--Ms. Chhavi Bansal, Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Ramnagar, District Nainital, *vice* Sri Sandip Kumar Tiwari.

NOTIFICATION

April 28, 2016

No. 90/UHC/Admin.A/2016--Ms. Ritika Semwal, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Haldwani, District Nainital is transferred and posted as Principal Magistrate/Judicial Magistrate (1st Class), Juvenile Justice Board, Hardwar, in the vacant Court.

NOTIFICATION

April 28, 2016

No. 91/UHC/Admin.A/2016--Sri Sayed Gufran, Principal Magistrate/Judicial Magistrate (1st Class), Juvenile Justice Board, Udham Singh Nagar is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Srinagar, District Pauri Garhwal, in the vacant Court.

NOTIFICATION

April 28, 2016

No. 92/UHC/Admin.A/2016--Sri Harsh Yadav, Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee, District Hardwar is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Chamoli, *vice* Sri Neeraj Kumar.

NOTIFICATION

April 28, 2016

No. 93/UHC/Admin.A/2016--Sri Ravi Shankar Mishra, Civil Judge (Jr. Div.), Hardwar is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Bageshwar, in the vacant Court.

He has also been given additional charge of the Court of Civil Judge (Jr. Div.), Garur, District Bageshwar with the direction to hold Camp Court at Garur for one week in a month.

NOTIFICATION

April 28, 2016

No. 94/UHC/Admin.A/2016--Sri Sandip Kumar Tiwari, Civil Judge (Jr. Div.), Ramnagar, District Nainital is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee, District Hardwar, *vice* Sri Harsh Yadav.

NOTIFICATION

April 28, 2016

No. 95/UHC/Admin.A/2016--Ms. Shweta Rana Chauhan, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is transferred and posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Nainital, *vice* Ms. Anamika.

NOTIFICATION

April 28, 2016

No. 96/UHC/Admin.A/2016--Sri Avinash Kumar Srivastava, Civil Judge (Jr. Div.), Pithoragarh is transferred and posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun, vice Ms. Shweta Rana Chauhan.

NOTIFICATION

April 28, 2016

No. 97/UHC/Admin.A/2016--Ms. Tricha Rawat, Judicial Magistrate-I, Hardwar (Principal Magistrate, Juvinile Justice Board, Hardwar) is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Narendra Nagar, District Tehri Garhwal, *vice* Ms. Rashmi Goyal.

NOTIFICATION

April 28, 2016

No. 98/UHC/Admin.A/2016--Sri Sanjeev Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Tharali, District Chamoli is transferred and posted as Principal Magistrate/Judicial Magistrate (1st Class), Juvenile Justice Board, Udham Singh Nagar, *vice* Sri Sayed Gufran.

NOTIFICATION

April 28, 2016

No. 99/UHC/Admin.A/2016--Ms. Shama Nargis, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Hardwar is transferred and posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, District Udham Singh Nagar, *vice* Ms. Afiya Mateen.

NOTIFICATION

April 28, 2016

No. 100/UHC/Admin.A/2016--Ms. Neha Kushwaha, Civil Judge (Jr. Div.), Garur, District Bageshwar is transferred and posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Haldwani, District Nainital, *vice* Ms. Ritika Semwal.

NOTIFICATION

April 28, 2016

No. 101/UHC/Admin.A/2016--Ms. Anita Kumari, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee, District Hardwar is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Almora, *vice* Sri Ashok Kumar.

NOTIFICATION

April 28, 2016

No. 102/UHC/Admin.A/2016--Ms. Neha Qayyum, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is transferred and posted as Judicial Magistrate, Pithoragarh, *vice* Sri Ravindra Dev Mishra, She is appointed in the said Court U/S11(2) of Code of Criminal Procedure, 1973.

NOTIFICATION

April 28, 2016

No. 103/UHC/Admin.A/2016--Sri Akram Ali, Judicial Magistrate-II, Dehradun is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Pithoragrah, *vice* Sri Avinash Kumar Srivastava.

NOTIFICATION

April 28, 2016

No. 104/UHC/Admin.A/2016--Sri Neeraj Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Chamoli is transferred and posted as 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun, *vice* Ms. Neha Qayyum.

NOTIFICATION

April 28, 2016

No. 105/UHC/Admin.A/2016--Sri Ashok Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Almora is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Karnprayag, District Chamoli, *vice* Ms. Payal Singh.

He has also been given additional charge of the Court of Civil Judge (Jr. Div.), Tharali, District Chamoli till the completion of training of 2014 batch i.e. July 2016 with the direction to hold Camp Court at Tharali for one week in a month.

NOTIFICATION

April 28, 2016

No. 106/UHC/Admin.A/2016--Smt. Payal Singh, Civil Judge (Jr. Div.), Karnprayag, District Chamoli is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Hardwar, *vice* Sri Ravi Shankar Mishra.

NOTIFICATION

April 28, 2016

No. 107/UHC/Admin.A/2016--Ms. Rashmi Goyal, Civil Judge (Jr. Div.), Narendra Nagar, District Tehri Garhwal is transferred and posted as Civil Judge (Jr. Div.), Rishikesh, District Dehradun, *vice* Sri Mohammad Yaqoob.

NOTIFICATION

April 28, 2016

No. 108/UHC/Admin.A/2016--Ms. Afiya Mateen, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, District Udham Singh Nagar is transferred and posted as Judicial Magistrate-II, Dehradun, vice Sri Akram Ali, She is appointed in the said Court U/S11(2) of Code of Criminal Procedure, 1973.

NOTIFICATION

April 28, 2016

No. 109/UHC/Admin.A/2016--Sri Ravindra Dev Mishra, Judicial Magistrate, Pithoragarh is transferred and posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Hardwar, *vice* Ms. Shama Nargis.

NOTIFICATION

April 28, 2016

No. 110/UHC/Admin.A/2016--Ms. Anamika, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Nainital is posted as 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Nainital, in the vacant Court.

This order will come into force *w.e.f.* 02.05.2016.

Note : The officers transferred prematurely on their request will not be allowed the transfer traveling allowance.

By Order of the Court,
Sd/-
D. P. GAIROLA,
Registrar General.

NOTIFICATION

April 29, 2016

No. 111/UHC/XIV/28/Admin.A/2008--Sri Sudhir Tomar, Additional Civil Judge (Sr. Div.), Roorkee, District Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 26 days *w.e.f.* 14.03.2016 to 08.04.2016 with permission to prefix 12.03.2016 & 13.03.2016 as second Saturday and Sunday holidays and to suffix 09.04.2016 & 10.04.2016 as second Saturday and Sunday holidays respectively.

NOTIFICATION

April 29, 2016

No. 112/UHC/XIV/57/Admin.A/2003--Sri Ajay Chaudhary, 2nd Additional District Judge, Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 36 days *w.e.f.* 08.03.2016 to 12.04.2016 with permission to prefix 06.03.2016 & 07.03.2016 as Sunday and Maha Shivratri holidays and to suffix 13.04.2016 as local holiday, 14.04.2016 as Ambedkar Jayanti holiday and 15.04.2016 as Ram Navami holiday.

NOTIFICATION

April 30, 2016

No. 113/XIV/96/Admin.A/2003--Sri Nandan Singh, Chief Judicial Magistrate, Nainital is hereby sanctioned earned leave for 19 days *w.e.f.* 05.04.2016 to 23.04.2016 with permission to suffix 24.04.2016 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

May 05, 2016

No. 118/UHC/XIV-a/34/Admin.A/2015--Ms. Afiya Mateen, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 21.04.2016 to 30.04.2016 with permission to prefix 20.04.2016 as Mahavir Jayanti holiday and to suffix 01.05.2016 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

May 06, 2016

No. 119/UHC/Admin.A/2016--Sri Harsh Yadav, Civil Judge (Jr. Div.), Chamoli is given additional charge of the Court of Civil Judge (Jr. Div.), Joshimath & Pokhari, District Chamoli with the direction to hold camp Court at each places for three days in a month.

NOTIFICATION

May 06, 2016

No. 120/UHC/Admin.A/2016--Sri Ashok Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Karnprayag, District Chamoli is given additional charge of the Court of Civil Judge (Jr. Div.), Gairsen, District Chamoli with the direction to hold camp Court at Gairsain for six days in a month.

By Order of the Court,
Sd/-
KANTA PRASAD,
Registrar General.

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL

In view of the powers conferred under Section-9(3) of the Legal Services Authorities Act, 1987 and pursuant to the recommendation of Hon'ble High Court of Uttarakhand, Hon'ble Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital is pleased to appoint the following Judicial Officers as Secretary, District Legal Services Authority in the district mentioned against their name :--

NOTIFICATION

April 29, 2016

No. 491/III-A-1/SLSA/2016--Sri Seash Chandra, Civil Judge (Sr. Div.), Laksar, District Hardwar is appointed as Secretary, District Legal Services Authority, Almora, *vice* Ms. Reena Negi on the post created *vide* G.O. No. 396/XXXVI(1)/2014-184/2001 T.C.I., Dated 24.02.2014.

NOTIFICATION

April 29, 2016

No. 492/III-A-12/SLSA/2016--Sri Arun Vohra, Chief Judicial Magistrate, Uttarkashi is appointed as Secretary, District Legal Services Authority, Udham Singh Nagar, *vice* Sri Arvind Nath Tripathi on the post created *vide* G.O. No. 396/XXXVI(1)/2014-184/2001 T.C.I., Dated 24.02.2014.

NOTIFICATION

April 29, 2016

No. 493/III-A-8/SLSA/2016--Sri Jayendra Singh, Addl. Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun is appointed as Secretary, District Legal Services Authority, Pauri Garhwal, *vice* Sri Yogendra Kumar Sagar on the post created *vide* G.O. No. 396/XXXVI(1)/2014-184/2001 T.C.I., Dated 24.02.2014.

NOTIFICATION

April 29, 2016

No. 494/III-A-13/SLSA/2016--Sri Hemant Singh, Joint Registrar (Judl. & Admin.), Public Service Tribunal Uttarakhand, Dehradun is appointed as Secretary, District Legal Services Authority, Uttarkashi on the post created *vide* G.O. No. 396/XXXVI(1)/2014-184/2001 T.C.I., Dated 24.02.2014.

NOTE : **In light of the Notification of Hon'ble High Court, this order will come into force *w.e.f.* 02.05.2016 and the officers transferred prematurely on their request will not be allowed the transfer traveling allowance.**

By Order of the Hon'ble Executive Chairman,
Sd/-
PRASHANT JOSHI,
Member Secretary.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

CHARGE CERTIFICATE

April 30 / *May 05*, *2016*

(Handing over on retirement)

No. 2124/Admn.(A)-UHC/2016--CERTIFIED that the Office of the Assistant Registrar, High Court of Uttarakhand, Nainital, was transferred on retirement after superannuation, as herein denoted in the afternoon of 30th April, 2016.

ABDUL HAMEED,
Relieved Officer.

Countersigned

D. P. GAIROLA,
Registrar General.

UTTARAKHAND PUBLIC SERVICES TRIBUNAL, DEHRADUN

CHARGE CERTIFICATE

May 02, 2016

No. 96/PST/Admn.IV/2016/D. Dun--CERTIFIED that in compliance of the Notification No. 1945/XIII-c-1/Admin.A/2016, Dated April 28, 2016 and in compliance of recommendation Notification no. 494/III-A-13/SLSA/2016, dated April 29, 2016 of Uttarakhand State Legal Service Authority, High Court Campus, Nainital, the charge of the office of the Joint Registrar (Judicial & Administration), Uttarakhand Public Services Tribunal, Dehradun has been handed over, as denoted herein, in the forenoon of 02.05.2016.

HEMANT SINGH,
Relieved Officer.

Countersigned
Sd/- (Illegible)
Chairman,
Uttarakhand Public Services Tribunal, Dehradun.

OFFICE OF THE DISTRICT & SESSIONS JUDGE, PITHORAGARH

CERTIFICATE OF HANDING OVER CHARGE

May 03, 2016

No. 164(VII)/I-01-2012--CERTIFIED that the office of the Civil Judge (Jr. Div.), Pithoragarh was transferred under the orders of Hon'ble High Court of Uttarakhand, Nainital vide notification no. 96/UHC/Admin.A/2016, dated April 28, 2016, as hereinafter denoted, in the afternoon of May 02, 2016.

AVINASH KUMAR SRIVASTAVA,
Civil Judge (Jr. Div.),
Pithoragarh.

Countersigned
Sd/- (Illegible)
District Judge,
Pithoragarh.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

CHARGE CERTIFICATE

May 05, 2016

(On transfer)

No. 2160/Admn.(A)-UHC/2016--CERTIFIED that the Office of the Registrar General, High Court of Uttarakhand, Nainital, was transferred *vide* High Court of Uttarakhand, Notification No. 114/UHC/Admn.A/2016 and No. 116/UHC/Admin. A/2016, dated May 02, 2016, as herein denoted in the afternoon of 5th May, 2016.

KANTA PRASAD,
Relieving Officer.

D.P. GAIROLA,
Relieved Officer.

Countersigned
NARENDRA DUTT,
Registrar (Judicial).

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)

19 अप्रैल, 2016 ई0

समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्या0/प्रव0), वाणिज्य कर,
देहरादून/ऋषिकेश/हरिद्वार/रुड़की/
काशीपुर/बाजपुर/रुद्रपुर/खटीमा सम्भाग।

पत्रांक/294/आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0/16–17/देहरादून–शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 126/2016/03(120)XXVII(8)/2016, दिनांक 03 मार्च, 2016 के क्रम में आयुक्त कर द्वारा राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान के लिये अथवा राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के भीतर किसी स्थान के लिये या राज्य के भीतर किसी स्थान से दूसरे राज्य से होते हुए राज्य में किसी स्थान के लिये, माल के संचलन के सम्बन्ध में, परिवहनकर्ता द्वारा लौरी चालान तैयार किये जाने हेतु शर्तों के संबंध में आदेश जारी किए गये हैं।

उपरोक्त आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उक्त आदेश की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

पीयूष कुमार,
एडिशनल कमिश्नर (विशेष वेतनमान),
वाणिज्य कर, मुख्यालय,
उत्तराखण्ड।

आदेश

18 अप्रैल, 2016 ई0

संख्या 277/आयु0क0उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनु0/2016–17–शासन की अधिसूचना संख्या 126/2016/03(120)/XXVII(8)/2016, दिनांक 03 मार्च, 2016 के क्रम में, अधोहस्ताक्षरी, राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान के लिये अथवा राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के भीतर किसी स्थान के लिये या राज्य के भीतर किसी स्थान से दूसरे राज्य से होते हुये राज्य में किसी स्थान के लिये, माल के संचलन के सम्बन्ध में, निम्न शर्तों के अधीन, परिवहनकर्ता द्वारा लौरी चालान तैयार किये जाने हेतु निम्नवत् आदेश करते हैं:–

शर्तें

1. लौरी चालान तैयार करने की व्यवस्था के प्रथम चरण में दिनांक 20.04.2016 से आयरन–स्टील तथा खाद्य तेल के सम्बन्ध में धारा 43क के उपबन्धों का अनुपालन करते हुये लौरी चालान तैयार किया जाना अनिवार्य होगा।
2. परिवहनकर्ता द्वारा माल के निम्न संचलन तथा मात्रा के लिये लौरी चालान तैयार किया जाना आवश्यक होगा:–
   (क) राज्य के भीतर एक ही जिले के अन्तर्गत अथवा एक जिले से दूसरे जिले के लिए बिन्दु संख्या 1 में उल्लिखित माल का संचलन करने की दशा में परिवहनकर्ता द्वारा 05 (पाँच) टन से अधिक मात्रा में उक्त माल का परिवहन करने पर लौरी चालान तैयार करना आवश्यक होगा।
   (ख) राज्य के भीतर किसी स्थान से दूसरे राज्य से होते हुये राज्य में किसी स्थान के लिये बिन्दु संख्या 1 में उल्लिखित माल का संचलन करने की दशा में परिवहनकर्ता द्वारा किसी भी मात्रा में उक्त माल का परिवहन करने पर लौरी चालान तैयार करना आवश्यक होगा।
   (ग) राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान के लिये बिन्दु संख्या 1 में उल्लिखित माल का संचलन करने की दशा में परिवहनकर्ता द्वारा किसी भी मात्रा में उक्त माल का परिवहन करने पर लौरी चालान तैयार करना आवश्यक होगा।

3. मुख्यालय से जारी परिपत्र संख्या विधि–29/(04–05)परिपत्र/2005–2006/1074/विधि–अनुभाग, दिनांक 08 जुलाई, 2005 एवं परिपत्र संख्या 1595/आयु0क0उत्तरा0/वाणिज्य कर/विधि–अनुभाग/देहरादून/2005–06, दिनांक 11 अगस्त, 2005 द्वारा ऐसे माल के सम्बन्ध में, जो उत्तराखण्ड से उत्तराखण्ड के क्षेत्रों के लिये अन्य प्रदेशों से होकर परिवहन किया जाता है, ऐसे माल का परिवहन करने पर सम्बन्धित बिल/कैश मेमो/चालान पर ओ0सी0 स्टैम्प प्रयुक्त करने की व्यवस्था की गयी है, जिसमें दिनांक 01.03.2013 को जाँच चौकियों की समाप्ति के उपरान्त परिपत्र संख्या 4965/आयु0क0उत्तरा0/वा0क0/ प्र0अनु0/2012–13, दिनांक 26.02.2013 द्वारा ओ0सी0 स्टैम्प की प्रक्रिया के सम्बन्ध में आंशिक संशोधन किया गया है।

उक्त जारी परिपत्रों के आलोक में एवं परिवहनकर्ता द्वारा आयरन–स्टील तथा खाद्य तेल के सम्बन्ध में लौरी चालान तैयार किये जाने के सन्दर्भ में यह आदेश दिये जाते हैं कि यदि बिन्दु संख्या 2 के उपबिन्दु (ख) में विनिर्दिष्ट संचलन तथा मात्रा के लिए परिवहनकर्ता द्वारा लौरी चालान तैयार किया जाता है तो आयरन–स्टील तथा खाद्य तेल के ऐसे संचलन हेतु ब्यौहारी द्वारा ओ0सी0 स्टैम्प प्रयुक्त किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

4. इसके अतिरिक्त यदि आयरन–स्टील तथा खाद्य तेल के अन्यथा अन्य माल के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या 2 के उपबिन्दु (ख) में विनिर्दिष्ट संचलन तथा मात्रा के लिए परिवहनकर्ता द्वारा वैकल्पिक आधार पर लौरी चालान तैयार किया जाता है तो ऐसे अन्य माल के संचलन हेतु भी ब्यौहारी द्वारा ओ0सी0 स्टैम्प प्रयुक्त किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

5. उपरोक्त आदेशित व्यवस्था सहित उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 43क एवं नियम 55 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 43क में प्राविधानित "लौरी चालान" का प्रारूप फार्म–XVIII(f) (संलग्न) एतद्द्वारा निर्धारित किया जाता है। "लौरी चालान" को वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट http://comtax.uk.gov.in पर, उसमें विहित व्यवस्था के अनुसार, उसमें निर्धारित सूचनाओं सहित ऑनलाइन दाखिल किया जायेगा। "लौरी चालान" में वांछित सूचनाओं के अतिरिक्त वे अन्य सूचनाऐं भी दी जायेंगी जो उक्त प्रयोजन हेतु वेबसाइट पर वांछित हों। कम्प्यूटर से "लौरी चालान" जेनरेट/प्रिंट करने की व्यवस्था ऐसी होगी जैसा कि वेबसाइट पर निर्धारित हो।

दिलीप जावलकर,
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

(फार्म–अनुभाग)
विज्ञप्ति

05 मई, 2016 ई0

पत्रांक 603/आयु0क0 उत्तरा0/फार्म–अनु0/2016–17/केन्द्रीय फार्म–सी/एफ/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तराखण्ड) नियमावली, 2006 के नियम–8(13) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड निम्नलिखित सूची में उल्लिखित "फार्म–सी/एफ", जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है, को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए इन फार्म्स के प्रयोग को अवैध घोषित करता हूँ :–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम, पता व टिन नं0	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज/क्रमांक	फार्म को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1.	सर्वश्री बागला पोली फिल्म्स लिमिटेड, प्लॉट नं0–617, के0आई0इण्ड0 एस्टेट, मुडियांकी, रुड़की, टिन नं0 05009198729	(Form-C)–01	U.K. VAT-C-2012 0217329	खोने के कारण
2.	सर्वश्री गलवलिया इस्पात उद्योग प्रा0लि0, काशीपुर, टिन नं0–05002513683	(Form-C)–04	U.K. VAT-C-2007 308348, 408204, 408205, 408206	खोने के कारण
3.	सर्वश्री हिमालया हाइड्रो प्रा0लि0, सेराघाट, मुनस्यारी, टिन नं0–05006929220	(Form-C)–01	U.K. VAT-C-2007 226696	खोने के कारण
4.	सर्वश्री ओम इण्डस्ट्रीज, काशीपुर, टिन–05002391754	(Form-C)–01	U.K. VAT-C-2009 0490462	खोने के कारण
5.	सर्वश्री गौरव एजेन्सी, भोलानाथ गार्डन, हल्द्वानी, टिन नं0–05001505174	(Form-C)–01	U.K. VAT-C-2007 981192	खोने के कारण
6.	सर्वश्री प्रीकाल लि0, पंतनगर, टिन नं0–05006454114	(Form-C)–02	U.K. VAT-C-2012 169409, 159976	खोने के कारण
7.	सर्वश्री मोचिको शूज प्रा0लि0, खसरा नं0 3912, लाल तप्पड़, देहरादून, टिन नं0–05007898847	(Form-C)–02	U.K. VAT-F-2007 241807, 241810	खोने के कारण

अमित सिंह नेगी,
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

NOTIFICATION

May 05, 2016

No. 603/Com. Tax/Form/Lost/Stolen/Destroyed/2016-17/D.Dun--WHEREAS, information have been received regarding Lost/Stolen/Destroyed "Form-C" enlisted below :--

I, Commissioner tax, Uttarakhand in exercise of the powers conferred by Rule 8(13) of Central Sales Tax (Uttarakhand) Rules, 2006, hereby declare that "form-C/F" bearing serial no. as listed below, should be considered as invalid for all purposes :--

Sl. No.	Name, Address and Tin No. of Dealers	No. of Lost/Stolen/Destroyed Forms	Sl. No. of Lost/Stolen or Destroyed Forms	Reasons for declaring the forms obsolete or invalid
1.	M/s Bagla Polifikms Ltd, Plot No.-617, K. L. Ind. Estate, Mundiyaki, Roorkee, TIN No.--05009198729	(Form-C)--01	U.K. VAT-C-2012 0217329	Lost
2.	M/s Galwalia Ispat Udyog Pvt. Ltd., Kashipur, TIN No.—05002513683	(Form-C)--04	U.K. VAT-C-2007 308348, 408204, 408205, 408206	Lost
3.	M/s Himalaya Hydro Electric Project, Seraghat, Munsyari, TIN No.--05006929220	(Form-C)--01	U.K. VAT-C-2007 226696	Lost
4.	M/s Om Industries, Kashipur, TIN No.—05002391754	(Form-C)--01	U.K. VAT-C-2009 0490462	Lost
5.	M/s Gaurav Agency, Bhola Nath Garden, Haldwani, TIN No.--05001505174	(Form-C)--01	U.K. VAT-C-2007 981192	Lost
6.	M/s Pricol Ltd. Rudrapur, TIN No.—05006454114	(Form-C)--02	U.K. VAT-C-2012 169409, 159976	Lost
7.	M/s Mochiko shoes P. Ltd., Khasara No. 3912, Lal Tappad, Dehradun, TIN No.--05007898347	(Form-C)--02	U.K. VAT-F-2007 241807, 241810	Lost

AMIT SINGH NEGI,
Commissioner Tax, Uttarakhand.

कार्यालय एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर मुख्यालय, देहरादून

विज्ञप्ति

06 मई, 2016 ई0

पत्रांक 622/एडि0कमि0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0/16–17/देहरादून–ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0/प्र0), वाणिज्य कर, ऋषिकेश सम्भाग, ऋषिकेश के पत्रांक 536, 537 व 557, 666, दिनांक 27.02.2016, 30.03.2016, ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0/प्र0), वाणिज्य कर, हरिद्वार सम्भाग, हरिद्वार के पत्रांक 2823, दिनांक 29.02.2016 तथा ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0/प्र0), वाणिज्य कर, रुड़की सम्भाग, रुड़की के पत्रांक 20, 960, 152, दिनांक 16.04.2016, 17.03.2016, 30.04.2016 द्वारा कुल 37 पंजीकृत व्यापारियों के पंजीयन निरस्त किये जाने की सूचना से अवगत कराया है।

List of Cancel Dealers

S. No.	Dealer Name & Address	TIN	Date of Cancel
1	2	3	4
1.	सर्वश्री हिमालय मेडिकोज, गीतानगर, हरिद्वार रोड, ऋषिकेश	05007364556	16.02.2016
2.	सर्वश्री इलैक्ट्रोनिक वर्ल्ड, 17 शगुन प्लॉजा, अमितग्राम, ऋषिकेश	05010584859	26.11.2015
3.	सर्वश्री वीरभद्र मिल्क फूड्स, 17, शगुन प्लॉजा, वाईपास रोड, ऋषिकेश	05014699890	26.11.2015
4.	सर्वश्री गुप्ता इन्टर प्राइजेज, गली नं0 4, अमित ग्राम, गुमानीवाला, ऋषिकेश	05011615775	26.11.2015

1	2	3	4
5.	सर्वश्री भट्ट इलैक्ट्रॉनिक्स, मेन मार्केट, झण्डा चौक, ऋषिकेश	05008244831	26.11.2015
6.	सर्वश्री कण्डवाल कम्युनिकेशन, 841, नंबरदार फार्म, श्यामपुर, ऋषिकेश	05014961402	26.11.2015
7.	सर्वश्री न्यू फैमिली रेस्टोरेन्ट, 118, गली नं0 15, गणपति मेगा मार्ट, गुमानीवाला, ऋषिकेश	05013029744	26.11.2015
8.	सर्वश्री होटल लेजर पैलेस, बद्रीनाथ रोड, महानन्दा कॉम्पलेक्स, तपोवन, टिहरी गढ़वाल	05015234069	26.11.2015
9.	सर्वश्री ऋषि ट्रेडिंग कम्पनी, श्यामपुर, ऋषिकेश	05015451737	10.02.2016
10.	सर्वश्री प्रेस्टीज आंनिडा लि0, ढालवाला, ऋषिकेश	05003585436	10.02.2016
11.	सर्वश्री गुप्ता एण्टर प्राइजेज, अमितगांव, ऋषिकेश	05011615775	02.02.2016
12.	सर्वश्री न्यू फैमली रेस्टोरेन्ट निकट गणपति मेगामार्ट, ऋषि0	05013029744	02.02.2016
13.	सर्वश्री वीरभद्र मिल्क फूड्स, श्यामपुर, ऋषिकेश	05014699890	02.02.2016
14.	सर्वश्री भट्ट इलैक्ट्रोनिक्स मैन मार्केट, ऋषिकेश	05008244831	02.02.2016
15.	सर्वश्री नेगी सोया दूध पनीर, कोटद्वार	05012871537	02.01.2016
16.	सर्वश्री जय दुर्गा प्रोविजन स्टोर, कोटद्वार	05016128991	02.01.2016
17.	सर्वश्री ए0डी0एन0 एसोसिएट्स, कोटद्वार	05014657889	02.01.2016
18.	सर्वश्री अरनव इन्फोटेक, कोटद्वार	05015487821	02.01.2016
19.	सर्वश्री बी0एम0 ट्रेडर्स, कोटद्वार	05011925690	02.01.2016
20.	सर्वश्री गढ़वाल मार्केट्स, कोटद्वार	05013758796	02.01.2016
21.	सर्वश्री सुन्द्रियाल एण्टर प्राइजेज, कोटद्वार	05013847163	02.01.2016
22.	सर्वश्री अरूणा स्टील प्रा0लि0, कोटद्वार	05002771703	02.01.2016
23.	सर्वश्री सुनील ट्रेडर्स, कोटद्वार	05014634706	02.01.2016
24.	सर्वश्री बाबा ट्रेडर्स, कोटद्वार	05011726549	02.01.2016
25.	सर्वश्री उत्तरांचल वायर्स, कोटद्वार	05009688191	03.02.2016
26.	सर्वश्री 3ए एण्टरप्राइजेज, कोटद्वार	05012172749	16.02.2016
27.	सर्वश्री अंश फैब्रिकेशन, कोटद्वार	05013773346	16.02.2016
28.	सर्वश्री एक्सल वायर, कोटद्वार	05009703905	16.02.2016
29.	सर्वश्री अनपूर्णा कन्फैक्चर, कोटद्वार	05013130139	16.02.2016
30.	सर्वश्री सिद्धबली आयरन एण्ड क्राफ्ट, कोटद्वार	05010729195	16.02.2016
31.	सर्वश्री महादेव ट्रेडर्स, कोटद्वार	05015293918	16.02.2016
32.	सर्वश्री रानाबाई मार्बल्स, गुमानीवाला, ऋषिकेश	05011660395	19.03.2016
33.	सर्वश्री राम टाईल्स एण्ड ग्रेनाईट सप्लायर्स, श्यामपुर, ऋषि0	05013440733	29.03.2016
34.	सर्वश्री बी0डी0एस0 मार्बल्स, गुमानीवाला, श्यामपुर, ऋषिकेश	05010212573	29.03.2016
35.	सर्वश्री नमन ट्रेडर्स, गांव मुण्डेक–परगना मंगलौर, रुड़की	05014595518	27.02.2016
36.	सर्वश्री चन्दभान बत्रा एण्ड संस, कोटद्वार	05002789260	05.03.2016
37.	सर्वश्री सिद्धबली ट्रेडर्स, कोटद्वार	05014779915	30.03.2016

उक्त निरस्त पंजीयन (टिन) से सम्बन्धित कुल 20 व्यापारियों की सूची उपरोक्तानुसार इस आशय से विज्ञापित की जा रही है कि उपरोक्त व्यापारियों द्वारा की जाने वाली व्यापारिक गतिविधियां पंजीयन निरस्तीकरण की तिथि से अवैध मानी जाये।

पीयूष कुमार,
एडिशनल कमिश्नर (विशेष वेतनमान),
वाणिज्य कर, मुख्यालय,
देहरादून।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत)

आदेश

30 अप्रैल, 2016 ई0

पत्रांक 1185/पंजीयन निरस्त/2016–17–वाहन संख्या USZ–9675, मॉडल 1985, चेसिस नं0 344073797683, इंजन 692DU1801981, इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री आलोक अग्रवाल पुत्र श्री जय श्याम अग्रवाल, निवासी अग्रवाल राईस मिल, टनकपुर, जिला चम्पावत के नाम पर दर्ज है, वाहन स्वामी ने दिनांक 31.03.2016 को आवेदन–पत्र के साथ मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है, साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत), केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 30.04.2016 को वाहन संख्या USZ–9675, चेसिस नं0 344073797683 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

आदेश

30 अप्रैल, 2016 ई0

पत्रांक 1186/पंजीयन निरस्त/2016–17–वाहन संख्या UP02B–4123, मॉडल 1994, चेसिस नं0 344073EVQ111316, इंजन 692DUEVQ11433, इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री त्रिलोक सिंह पुत्र श्री पुष्कर सिंह, निवासी आमबाग, टनकपुर, जिला चम्पावत के नाम पर दर्ज है, वाहन स्वामी ने दिनांक 31.03.2016 को आवेदन–पत्र के साथ मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है, साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत), केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 30.04.2016 को वाहन संख्या UP02B–4123, चेसिस नं0 344073EVQ111316 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

रश्मि भट्ट,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
टनकपुर (चम्पावत)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 22 हिन्दी गजट/233–भाग 1–क–2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 28 मई, 2016 ई0 (ज्येष्ठ 07, 1938 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, श्रीनगर, गढ़वाल

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु नियमावली

19 अप्रैल, 2016 ई0

संख्या 32/03–व0लि0/उपनियम(गजट)/2016–17–नगर पालिका परिषद्, श्रीनगर सीमान्तर्गत नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 296 उपधारा–2 खण्ड (झ) (ध) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2000 तथा संशोधित नियमावली, 2015 के क्रियान्वयन हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2016 बनायी जाती है एवं जिसके लिए पालिका की बोर्ड बैठक दिनांक 23.12.2015 में प्रस्ताव सं0–337 पारित किया गया है, के अनुपालन में नगर पालिका परिषद् अधिनियम की धारा 301(1) के अन्तर्गत जन सामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु दिनांक 31.12.2015 को समाचार पत्र शाह टाईम्स में विज्ञप्ति प्रकाशित की गई, जिसमें उपविधि प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, श्रीनगर को प्राप्त नहीं हुई।

अतः यह उपनियम की धारा 301(2) प्रयोजनार्थ प्रकाशित किये जाने हैं, जो शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

उपविधियां प्रकाशनार्थ हेतु विवरण निम्न प्रकार हैः–

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2016

1. यह उपविधि नगर पालिका परिषद्, श्रीनगर गढ़वाल नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की उपविधि 2016 कहलायेगी।
2. यह उपविधि नगर पालिका परिषद्, श्रीनगर गढ़वाल के सम्पूर्ण क्षेत्र तथा भविष्य में पालिका सीमान्तर्गत शामिल होने पर सम्पूर्ण पालिका क्षेत्र में प्रभावी होगी।
3. यह उपविधि उत्तराखण्ड में गजट प्रकाशन होने की तिथि से प्रभावी होगी।

परिभाषायें

1. नगरीय ठोस अपशिष्ट के अन्तर्गत औद्योगिक अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारिक लैब चिकित्सक अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुये ठोस या अर्द्ध ठोस के रूप में नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाला वाणिज्यिक एवं आवासीय अपशिष्ट आता है।

2. उपविधि से तात्पर्य नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1916 से उपबन्धों के अधीन बनाई गई उपविधि से है।

3. नगर पालिका परिषद् से तात्पर्य यह है कि संविधान के अनुच्छेद 243(थ) के खण्ड–7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के संगठित की गई नगर पालिका परिषद् से है।

4. अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य यह है कि नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीय सेवा नियमावली, 1965 के अधीन नियुक्त अधिकारी से है।

5. सफाई निरीक्षक से तात्पर्य यह है कि नगर पालिका परिषद्, श्रीनगर में शासन द्वारा तैनात सफाई निरीक्षक से है। ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में उस अधिकारी/कर्मचारी से है जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो।

6. निरीक्षण अधिकारी का तात्पर्य यह कि अधिशासी अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसा अधिकारी कर्मचारी जिससे समय–समय पर निरीक्षण हेतु अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो।

7. नियम से तात्पर्य यह है कि भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 648 नई बनाई गई है। मंगलवार 03 अक्टूबर, 2000 असाधारण अधिसूचना नई की गई है। दिनांक 25 सितम्बर, 2000 द्वारा तथा संशोधित नियमावली ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2015 के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम से है।

8. अधिनियम से तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड नगर पालिका परिषद् अधिनियम से है।

9. जीव नाशित/जैव निम्नकारणीय/जैविक अपशिष्ट (Biodegradable waste) का तात्पर्य यह है कि ऐसे अपशिष्ट से है, जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा न्यूनीकरण किया जा सकता है, जैसे–बचा हुआ खाना, सब्जी, फलों के छिलके, फूल, पौधों आदि के पत्ते एवं अन्य जैविक अपशिष्ट।

10. जीव अनाशित अपशिष्ट का तात्पर्य यह है कि ऐसे कूड़े–कचरे, सामग्री से है जो जीव नाशित कूड़ा–कचरा नहीं है। जिसके अन्तर्गत प्लॉस्टिक इत्यादि भी शामिल है।

11. उपविधि का उल्लंघन किये जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक उल्लंघन पर ₹ 1,000 से ₹ 5,000 तक अर्थदण्ड को प्राविधानित किया गया है। जिसकी वसूली पालिका द्वारा भू–राजस्व की भाँति की जायेगी।

12. पुनःचक्रीकरण अपशिष्ट (Recyclable waste) से तात्पर्य यह है कि ऐसे अपशिष्ट से है जो दुबारा किसी भी प्रकार से सीधे अथवा प्रतिवर्तित करते उसका उपयोग दुबारा किया जा सकता है। जैसे–प्लॉस्टिक, पॉलीथिन, काँच, कागज, धातु इत्यादि।

13. जैवचिकित्सीय अपशिष्ट (Biomedical waste) से तात्पर्य यह है कि ऐसे अपशिष्ट से है जो मानव एवं पशुओं रोग निदान उपचार प्रतिरक्षितकरण के दौरान या उससे सम्बन्धित किसी अनुसंधान/शैल्यी चिकित्सा क्रियाकलापों या जैविक उत्पादान या प्रशिक्षण के दौरान हुआ हो।

14. संग्रहण/एकत्रीकरण (Collection) से तात्पर्य यह है कि अपशिष्ट की उत्पत्ति स्थल संग्रहण बिन्दु तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है।

15. कचरा खद्दा (Composting) बनाना से अभिप्राय यह है कि ऐसे नियन्त्रित प्रक्रिया से है कि जिसमें कार्बन पदार्थ का सूक्ष्म जैविक न्यूनीकरण अन्तवर्लित हो।

16. ढुलान तथा निर्माण सम्बन्धित अपशिष्ट (Demilogetion and Construction waste) से तात्पर्य यह है कि ऐसे अपशिष्ट से है जो निर्माण, मरम्मत एवं ढुलान सम्बन्धित सक्रिय परिमाण स्वरूप निर्माण सामग्री एवं अन्य से अधिभूत अपशिष्ट से है।

17. व्यन (Disposal) भू–जल सतही जल तथा परिवेशीय वायु गुणवत्ता को प्रदूषण से बचाने हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्यन अभिप्रेत है।

18. भूमिभरण (Landfill) भू–तल सतह का जल प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाले धूल, हवा के साथ उड़ने वाले कूड़ा, बदबू आदि से पर्यावरण तथा पक्षियों एवं नाशित जीव/कृतक ग्रीम हाउस गैस उत्पादन के लिए सुरक्षात्मक उपकरणों के साथ डिजाइन की गयी पद्धति में ठोस अपशिष्ट को भूमिभरण अभिप्रेत है।

19. नगर पालिका प्राधिकार (Municipal authority) में नगर पालिका परिषद् जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र (एन0ए0सी0) अथवा सुसंगति कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्य निकाय अथवा समिति अभिप्रेत है, जहाँ नगरीय ठोस अपशिष्ट या प्रबन्धन और हथालन ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है।

20. डोर टू डोर कलेक्शन हेतु कूड़ा देने वाले भवन स्वामी एवं व्यवसायियों को निर्धारित धनराशि चार्जेस के रूप में पालिका अथवा उसके द्वारा नामित किसी निकाय अथवा संस्था को देना होगा।

21. सार्वजनिक स्थानों पर निर्माण सामग्री रेत, सरिया, ईंट, बजरी इत्यादि यदि आवश्यक हो तभी इस प्रकार रखा जायेगा जिससे सड़क पर आवागमन बाधित न हो और उसे 24 घण्टे के अन्दर हटवाना अनिवार्य होगा।

22. निर्माण कार्यों से उत्पन्न होने वाले कूड़े को पालिका द्वारा निर्धारित स्थल पर ही डालना होगा। ऐसा न करने पर पालिका नियमानुसार अर्थदण्ड की कार्यवाही प्रतिदिन के हिसाब से करेगी। कूड़ा उत्पन्न करने वाले स्वामी को स्थल की जानकारी पालिका से स्वयं प्राप्त करनी होगी।

23. पालिका सीमान्तर्गत किसी भी प्रकार की पॉलीथिन, कैरी बैग तथा प्लॉस्टिक एवं थर्माकॉल की डिस्पोजल क्रॉकरी का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा।

24. यह उपविधि परिवर्तनशील है। प्रत्येक 05 वर्ष पर इसका पुनर्निरीक्षण का अधिकार नगर पालिका परिषद्, श्रीनगर गढ़वाल में निहित है।

क्र0सं0	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (User Charges) की प्रस्तावित दरें
1.	प्रति आवासीय घर/प्रति परिवार	₹ 30.00
2.	छोटे रेस्टोरेण्ट/चाय की दुकान/बैकरी/चाय, जूस, (जिनकी बैठने की क्षमता 05 तक है)	₹ 100.00
3.	गन्ने के रस की ठेली व दुकान	₹ 250.00
4.	रेस्टोरेण्ट, होटल, ढाबे (जिनमें बैठने की क्षमता 06 से 25 तक है)	₹ 250.00
	(26 से अधिक बैठने की क्षमता वाले)	₹ 400.00
5.	होटल, लॉज, गेस्ट हाऊस (20 बेड क्षमता तक)	₹ 500.00
	20 बैड से अधिक क्षमता वाले (ऐसे होटल व लॉज जिनमें खाने की सुविधा उपलब्ध है। उन पर पृथक्–पृथक् सेवा शुल्क लगेगा।)	₹ 750.00
6.	धर्मशाला	₹ 200.00
7.	बारातघर	₹ 4000.00
8.	कार्यालय	₹ 200.00
9.	स्कूल एवं शिक्षण संस्थान	₹ 500.00
10.	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम	₹ 500.00
11.	क्लीनिक	₹ 200.00
12.	मोटर वर्कशॉप, कबाड़ी, मैकेनिक इत्यादि	₹ 500.00
13.	सामान्य दुकानदार जैसेः–हार्डवेयर, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, प्रोविजन स्टोर इत्यादि	₹ 50.00
14.	उत्पादक इकाईयाँ	₹ 1000.00

बिपिन चन्द्र मैठानी,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्
श्रीनगर, गढ़वाल।

कार्यालय नगर पंचायत, भगवानपुर, जिला हरिद्वार

21 अक्टूबर, 2015
23 नवम्बर, 2015 ई0

पत्रांक 135/न0पं0भ0–प्लास्टिक/पॉलिथिन–उप0/2015–16–नगर पंचायत, भगवानपुर, जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) के द्वारा उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 128 व 298 (i) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए "प्लास्टिक/पॉलिथिन उपविधि 2015–16" आरोपित करने के उद्देश्य से नगर पंचायत, भगवानपुर, जिला हरिद्वार द्वारा उपविधि बनाई गई है। इस उपविधि पर नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301 (i) के अन्तर्गत नगर पंचायत, भगवानपुर द्वारा सार्वजनिक सूचना सं0 40/प्लास्टिक/पॉलिथिन–उपनियम/2015–16, दिनांक 09–07–2015 के माध्यम से जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, से आपत्ति एवं सुझाव हेतु "सीमान्त वार्ता" हिन्दी दैनिक समाचार–पत्र में प्रकाशन कराया गया था। नियत अवधि के अन्तर्गत इस निकाय को उक्त उपविधि पर जनसामान्य से कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए है। इसलिये इस उपविधि को विधिवत् रूप से नगर पंचायत, भगवानपुर क्षेत्र में लागू करने हेतु अन्तिम रूप से सरकारी गजट में नोटिफिकेशन प्रकाशित किया जाना है।

"प्लास्टिक/पॉलिथिन उपविधि 2015–16"

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना–

(1) यह उपविधि नगर पंचायत, भगवानपुर, जिला हरिद्वार नगर की प्लास्टिक/पॉलिथिन/कैरीबैग नियंत्रण उपविधि 2015–16 कहलायेगी।

(2) यह उपविधि नगर पंचायत, भगवानपुर, जिला हरिद्वार के सीमान्तर्गत जनपद हरिद्वार में प्रवृत्त होगी।

(3) यह उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2. परिभाषाएँ–

(1) जब तक इस विषय के प्रसंग में कोई बात प्रतिकुल न हो इस उपविधि में–

(क) एक्ट का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) (यथा संशोधित) से है।

(ख) नगरपालिका से तात्पर्य नगर पंचायत, भगवानपुर, जिला हरिद्वार, जनपद हरिद्वार से है।

(ग) नगर पंचायत, भगवानपुर, जिला हरिद्वार, जनपद हरिद्वार नगर की सीमा क्षेत्र से तात्पर्य उस सीमा से है जो कि शासकीय विज्ञप्ति शासनादेश संख्या 118 IV(I)2014–4(नियम)2011, दिनांक 8 फरवरी, 2014 के अन्तर्गत शासकीय गजट में नगर पंचायत, भगवानपुर, जिला हरिद्वार की सीमा के लिए प्रकाशित व अनुसूचित की गई है।

(घ) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, भगवानपुर, जिला हरिद्वार, जनपद हरिद्वार, नगर के कार्यरत अधिशासी अधिकारी से है।

(ङ) सफाई निरीक्षक का तात्पर्य नगर पंचायत, भगवानपुर, जिला हरिद्वार, जनपद हरिद्वार नगर के कार्यरत सफाई एवं खाद्य निरीक्षक से है।

(च) अध्यक्ष का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो नगर पंचायत भगवानपुर, जिला हरिद्वार, जनपद हरिद्वार नगर के सीमान्तर्गत स्थित जनता द्वारा नगर पंचायत, भगवानपुर, जिला हरिद्वार, जनपद हरिद्वार नगर के बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया हो।

(छ) नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार बोर्ड का तात्पर्य नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार जनपद – हरिद्वार नगर के निर्वाचित /मनोनीत सदस्यों की कमेटी से है तथा ऐसी कमेटी के भंग होने की स्थिति में प्रशासक या उसके द्वारा प्रतिनिधानित व्यक्ति से है।

(ज) विकेता से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो वस्तुओं या साम्रगी को प्लास्टिक थैलो मे भर/पैक कर विक्रय करता है।

3.प्रतिषेध –

1– कोई भी व्यक्ति/व्यवसायी या दुकानदार नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार जनपद हरिद्वार की सीमा के अन्दर 40 माईक्रोन से कम मोटाई तथा 8X12 इंच (20X30 से0मी0) से कम आकार के प्लास्टिक कैरी बैंगो (थैलियो) का उत्पादन, भण्डारण, विक्रय और वितरण नही करेगा।

2– नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार जनपद – हरिद्वार नगर की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति/व्यवसायी या दुकानदार खाद्य सामग्री के भण्डारण ले जाने , वितरण एवं पैकेंजिग के लिए पुनः चक्रित प्लास्टिक से बनें प्लास्टिक कैरी (थैलियों) या पात्रो का उपयोग नहीं करेगा।

3– अप्रयुक्त प्लास्टिक से बने प्लास्टिक कैरी बैग (थैली) व पात्र प्राकृतिक रंग अथवा सफेद रंग के होगें।

4– खाद्य सामग्री के भण्डारण या पैकेजिंग से भिन्न प्रयोजन के लिये पुनः चक्रित प्लास्टिक से बने कैरी बैग और पात्रों का विनिर्माण भारतीय मानक ब्यूरों के विनिर्देश भ0म0/9822 : 1981 के अन्तर्गत इंगित रंजको (पिगमैंट) एवं रंग को (कलरेन्ट) द्वारा किया जायेगा।

5– नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार जनपद – हरिद्वार नगर की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति/व्यवसायी या दुकानदार व्यक्तिगत स्थान/सार्वजनिक स्थान जैसे नदी/स्वम् की भूमि/ नाली/ मकान/ऑगन /बगीचा/शौचालय /मूत्रालय/ दुकान के आगे पीछे ऐसे प्लास्टिक कैरी बैगों (थैलियो) या पात्रों /अनुपयोगी प्लास्टिक के डब्बे/बिस्कुट पैंकेटों के पॉली पैक रैपर्स/चायपत्ती के खाली रैपर्स/गुटको एंव पान मशालों के खाली रैपर्स जैसी अनुपयोगी वस्तुओं को नही रखेगा अथवा फेंकेगा जिससे पर्यावरण को क्षति हो प्रदूषण हो जो मानव जीवन व पशु जीवन के लिये घातक हो तथा जिससे गन्दगी होने की सम्भावना हों।

6– नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार जनपद – हरिद्वार नगर की सीमा के अन्दर आने वाले सामान की पैकिंग के रूप में आने वाले प्लास्टिक / पॉलीथीन/गत्ता/चिल्ला जो भी हो उसे केता/विकेता अपने घर/दुकान में एक बर्तन में अलग से एकत्र कर रखेगा तथा उक्त क्षेत्र में कार्यरत नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार जनपद – हरिद्वार नगर के सफाई कर्मी को उसकी ड्यूटी के दौरान सुपुर्द करेगा जिसे नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम–2000 के अनुसार नियमानुसार निस्तारित किया जायेगा।

7– सीमेन्ट के खाली बैग जो पॉली बैग मे आते हों जैसे रबर किस्म चिल्ला, चाय की पत्ती के खाली रैपर्स, पराग दुध या इस प्रकार दूध के अन्य रैपर्स , बिस्कुट पैकेटों के पॉली पैक रैपर्स/खाली डब्बे विभिन्न प्रकार के तम्बाकू/गुटको आदि समस्त प्रकार के प्लास्टिक पैक रैपर्स, जो अनुपयोगी हो जातें है को ऐसे सामान को केता/विकेता/मालिक या तो अपनी सुरक्षा में रखेगा या अपने घर/दुकान में एक बर्तन में एकत्र कर रखेगा जिसे सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार जनपद – हरिद्वार नगर के सफाई कर्मचारी को उसकी ड्यूटी के

समय दिया जायेगा जिसे नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार जनपद – हरिद्वार नगर द्वारा उप नियम –06 मे उल्लिखित विधि से निस्तारित किया जायेगा।

8– नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार जनपद – हरिद्वार नगर की सीमा के अन्दर प्रवेश/गुजरने वाले कोई भी वाहन चालक/यात्री नगर की सीमा में प्लास्टिक /पॉलीथीन की थैली/कैरीबैग/पैकेट/डब्बे/रैपर्स जो कि पॉलीथीन की श्रेणी मे हों ओर जिससे गन्दगी होने की सम्भावना हो, नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार जनपद – हरिद्वार नगर की सडकों /गलियों या खुले स्थान /सार्वजनिक स्थान में नहीं फेंकेगा बल्कि नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार जनपद – हरिद्वार के कूडेदान में ही डालेगा। इसी प्रकार से नगर पालिका अधिनियम 1916 के अन्तर्गत सीमा के भीतर किसी भी प्रकार से सार्वजनिक स्थानो में अपने घरो का कुडा–करकट, भवन निर्माण साम्रगी आदि नाली /मार्गो में नहीं फेकेगा।

9– नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार जनपद –हरिद्वार नगर की सीमा के अन्दर किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों, भवन स्वामी/स्वामियों, किरायेदारों कुलियों, मजदूरी के अगल–बगल जिसकी सीमान्तर्गत ऐसी प्लास्टिक/पॉलीथीन/कैरी बैग या अन्य प्रकार का प्लास्टिक/पॉलीपैक जैसे पराग दूध के अनुपयोगी या इसी प्रकार के अन्य अनुपयोगी प्लास्टिक/पॉलीपैक सामग्री जिससे गन्दगी उत्पन्न होने की सम्भवना हो, वह दण्डनीय अपराध के अन्तर्गत माना जायेगा। क्योकि 40 माईक्रोन से कम मोटाई की प्लास्टिक कानूनन शहरी क्षेत्र में पूर्ण रूप से वर्जित किया जा चुका है।

शास्ति

1– जो कोई भी व्यक्ति/व्यक्तियों/दुकानदार या फर्मो द्वारा इस उपविधि के किसी अंश या उसके तहत आदेश का उल्लंघन किया जायेगा, वह रूपये 5,000/–(रू0 पांच हजार मात्र) जुर्माने अथवा एक माह के कारावास अथवा दोनों से दण्डनीय होगा ओर यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहता है तो वह रू0 100/–(एक सौ मात्र) प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त दण्डित होगा।

2– जो कोई भी व्यक्ति/व्यक्तियों/व्यवसायी/दुकानदार या कम्पनियों द्वारा इस उपविधि के अधीन किसी भी रीति से अपराध करने अपराध में सहायता दुष्प्रेरणा करता है या उपसाधक है, वह दोष सिद्व होने पर अपराध के लिए चिन्हित करावास से दण्डित किया जायेगा।

3– नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार जनपद – हरिद्वार नगर के अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार जनपद –हरिद्वार का कोई भी अधिकारी/कर्मचारी को अधिकार होगा कि वह इस प्रकार के अपराधों के लिए तात्कालिक रूप से विक्रेता को अथवा क्रेता को रू0 100/– (रू0 एक सौ मात्र) से रू0 500/–(रू0 पांच सौ मात्र) तक का अर्थदण्ड अपने विवेक से दे सकते हैं।

4– नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार सीमा के अन्तर्गत कोई भी विक्रेता दुकानदार सब्जी विक्रेता फल विक्रेता भिन्न प्रकार के व्यवसायों से यदि कोई क्रेता द्वारा प्लास्टिक में सामान पैंक करने की मॉग की जाती है तो विक्रेता को यह बाध्यता होगी कि वह 40 माईक्रोन तथा 8X12 इंच तथा 40 माईक्रोन की कैरीबेग को एक रूपये तथा दो रूपये प्रति कैरीबेग की दर से विक्रय करेगा यदि विक्रेता द्वारा क्रेता को प्रतिबन्धित की गयी कैरीबेग को विक्रय करते हुये पाया जाता है तो उस विक्रेता पर दण्डस्वरूप मौका स्थल पर 100/– रूपये से 200/–रू0 तक अर्थदण्ड होगा

यदि उल्लंघन जारी रखता है तो विक्रेता के विरूद्व सक्षम न्यायालय मे नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी और जो भी नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार का व्यय भार होगा उसके लिए विक्रेता पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।

5– नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 274 के तहत कूडा करकट, विष्ठा आदि के अनुचित निस्तारण के लिए शास्ति– जिन भवन या भूमि से कोई संतापकारी पदार्थ, कूडा करकट, विष्ठा या लोथ, खण्ड (8ख) के अधीन नियत किसी स्थान या धारा 273 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन व्यवस्थित किसी पात्र से भिन्न अन्यथा किसी सार्वजनिक स्थान या सडक के किसी भाग पर या किसी सार्वजनिक सीवर या नाली मे या किसी सार्वजनिक सीवर या नाली से मिलने वाली किसी नाली मे फेंका या जमा किया जा सकता है, ऐसे भवन या भूमि या अध्यासी और कोई ऐसा व्यक्ति जो उपधारा के खण्ड (ग) के अधीन जारी किये गये (नगर पालिका) के किसी निर्देश का उल्लघंन करता है, दोषसिद्व ठहराये जाने पर 1000 रूपये से अधिक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

नगर पंचायत भगवानपुर जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) के द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड मे यथा प्रवृत्त) की धारा 128 व 293, 294 व 296 तथा 298 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए "व्यवसायिक लाईसेन्स एंव शुल्क वसूली 2015–16" उपविधि बनायी गई है। इस उपविधि पर नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 301(1) के अन्तर्गत नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार द्वारा सार्वजनिक सूचना सं0–43/कर निर्धारण–उपनियम/2015–16 दिनांक 11–07–2015 के माध्यम से जनसामान्य एंव जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पडने वाला हो, से आपत्ति एंव सुझाव हेतु "शाह टाईम्स" हिन्दी दैनिक समाचार पत्र मे प्रकाशन कराया गया था। नियत अवधि के अन्तर्गत इस निकाय को उक्त उपविधि पर जनसामान्य से कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिये इस उपविधि को विधिवत् रूप से नगर पंचायत भगवानपुर क्षेत्र मे लागू करने हेतु अन्तिम रूप से सरकारी गजट मे नोटिफिकेशन प्रकाशित किया जाना है।

'व्यवसायिक लाइसेन्स एवं शुल्क वसूली उपविधि – 2015–16

संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ–

क– यह उपविधि नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार 'व्यवसायिक लाइसेन्स एवं शुल्क वसूली उपविधि–2015–16' कहलायेगी।

ख – यह उपविधि नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार की सीमा में प्रवृत्त होगी।

ग – यह उपविधि नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार द्वारा प्रख्यापित तथा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाऐं –

किसी विषय या प्रसंग से कोई वादा प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में–

(क) " **नगर पंचायत** " का तात्पर्य **नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार** से है।

(ख) " सीमा " का तात्पर्य **नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार** की सीमाओं से है।

(ग) " अधिशासी अधिकारी " का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी **नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार** से है।

(घ) " अध्यक्ष " का तात्पर्य **नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार** के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक से है।

(ड) " बोर्ड " का तात्पर्य **नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार** के निर्वाचित बोर्ड से हैं।

(च) "अधिनियम " का तात्पर्य उत्तर प्रदेश, **नगर पालिका अधिनियम 1916** (उत्तराखंण्ड में यथावृत्त) संशोधन एवं उपान्तरण आदेश–2002 से हैं।

(छ) " लाइसेन्स " का तात्पर्य नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार की सीमान्तर्गत किये जाने वाले **विभिन्न व्यवासायों के** लाइसेन्स दिये जाने एवं उनसे निर्धारित शुल्क वसूली से हैं।

(ज) " अवधि " का तात्पर्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष अथवा (1 अप्रैल से 31 मार्च) 1 वर्ष के लिए दिये जाने वाले व्यवसायिक लाइसेन्स से हैं।

अनुसूची

क्र.स.	मद का नाम	लाइसेन्स शुल्क की प्रस्तावित दर वार्षिक
1	2	3
1	होटल लार्जिंग/गैस्ट हाउस/आश्रम 10 शैया तक	500.00
2	होटल लार्जिंग/गैस्ट हाउस/आश्रम 11 से 20 शैया तक	1000.00
3	तीन सितारा होटल अथवा बिना स्टार 20 शैया से 30 शैया तक	3000.00
4	उपरोक्त 31 शैया से 40 शैया तक	4000.00
5	उपरोक्त 41 शैया से 50 शैया तक	5000.00
6	उपरोक्त 50 से ऊपर	6000.00
7	तीन सितारा होटल	8000.00
8	पॉच सितारा होटल	10000.00
9	रेस्टोरेन्ट उच्च श्रेणी	2000.00
10	रेस्टोरेन्ट मध्यम श्रेणी	1000.00
	रेस्टोरेन्ट सामान्य श्रेणी	500.00
	नर्सिंग होम	
12	नर्सिंग होम (20 बैड तक)	1000.00
13	नर्सिंग होम (20 बैड से ऊपर)	2000.00
14	प्रसूति गृह (20 बैड तक)	1000.00
15	प्रसूति गृह (20 बैड से ऊपर)	2000.00
16	प्राईवेट अस्पताल	3000.00
17	पैथोलॉजी सैन्टर	1000.00
18	एक्सरे क्लीनिक	1500.00
19	डेन्टल क्लीनिक	1000.00
20	प्राईवेट क्लीनिक	1500.00
	परिवहन	
21	घोडा तांगा	50.00
22	रिक्शा किराये पर	25.00
23	रिक्शा (निजी चालक)	25.00
24	ठेला/ठेली	25.00
25	हाथ ठेली	25.00
26	बैलगाडी/भैंसा गाडी/किराये पर चलना	25.00
27	ट्रैक्टर ट्राली/छोटा हाथी	100.00
28	अन्य चार पहिये के वाहन(व्यवसायिक प्रयोग हेतु सभी वाहन)	200.00
29	मोटर गैराज	300.00
30	स्कूटर गैराज/रिपेयरिंग शॉप	250.00
31	मोटर वाहन एजेन्सी (सैल्स/सर्विस)	2000.00
32	स्कूटर एजेन्सी (दो पहिया/तीन पहिया)	1500.00
33	साईकिल की दुकान	200.00
	पैट्रोलियम	
34	पैट्रोल/डीजल पम्प थोक विक्रेता कम्पनी	2000.00
35	पैट्रोल/डीजल पम्प फुटकर विक्रेता	1000.00
36	जनरेटर डीजल/ पैट्रोल	500.00
37	दुकान अन्य पैट्रोलियम उत्पादन	500.00

अन्य व्यवसाय

38	धुलाई गृह (लान्ड्री)	100.00
39	ड्राई क्लीनर	100.00
40	फाईनैन्स कम्पनी,चिट फन्ड	500.00
41	इन्सोरेन्स कम्पनी,प्रति शाखा	500.00
42	फाउन्डिंग इंजीनियरिंग इन्ड्रस्टियल	1000.00
43	आईस फैक्ट्री तथा कोल्ड ड्रिंक्स सोडा ऐस्टेड वाटर फैक्ट्री	1000.00
44	बिल्डर्स(रजिस्टर्ड)	2000.00
45	आटा चक्की	250.00
46	गुड गोदाम	500.00
47	कंकड तथा सुखी की भट्टी	500.00
48	चूना	500.00
49	ईंट का भट्टा	5000.00
50	साबुन की फैक्ट्री	2000.00
51	लोहा,व्यापारी,टिम्बर,सीमेंट,ईंट,बालू(थोक मोरंग,मारवल,टाईल्स,सेनेटरी,हार्डवेयर)	2000.00
52	फुटकर बिजली के सामान कि विक्रेता	500.00
53	कपडा थोक विक्रेता	1000.00
	कपडा फूटकर विकेता	500.00
54	कैटरिंग	500.00
55	बेकरी (भट्ठी)	500.00
56	बेकरी (पॉवर)	1000.00
57	हेयर कटिंग सैलून	100.00
58	ब्युटी पार्लर	250.00
59	कुकिंग गैस एजेन्सी	1000.00
60	जनरल मर्चेन्ट थोक	500.00
61	टेलरिंग हाउस(5 से अधिक कर्मचारी)	200.00
62	टेलरिंग हाउस(5 कर्मचारी तक)	100.00
63	कोयला (थोक विक्रेता)	200.00
64	कोयला (फुटकर विक्रेता)	100.00
65	बडी नावें,मोटर वोट	1000.00
66	छोटी नावें,मोटर वोट	500.00
67	पेन्ट की दुकान	500.00
68	ज्वैल्र्स (बडे) 5 लाख से ऊपर टर्नओवर	1000.00
69	ज्वैल्र्स (छोटे) 5 लाख तक टर्नओवर	500.00
70	विज्ञापन एजेन्सी	1000.00
71	डेयरी (दूध,दही,पनीर एवं दूध से बने अन्य पदार्थ)	500.00
72	भूसा (थोक विक्रेता)	500.00
73	भूसा (फुटकर विक्रेता)	250.00
74	आडियो/वीडियो लाईब्रेरी	500.00
75	मोबाईल विक्रेता/विभिन्न मोबाईल कम्पनियों के रिचार्ज एवं मरम्मत की दुकान	500.00
76	केबिल टी0वी0	1000.00
77	आर्किटेक्ट,कम्सलटेन्ट,विधि चार्टेड एकाउन्टेन्ट,फास्ट एकाउन्टेन्ट	2000.00
78	अनाज,तिलहन,चीनी,गुड,खण्डसारी (थोक विक्रेता)	500.00
79	अनाज,तिलहन,चीनी,गुड,खण्डसारी (फुटकर विक्रेता)	300.00
80	आईस फैक्ट्री	500.00
81	टैन्ट हाउस	1000.00

82	राफ्टिंग	1000.00
83	जेम्स एण्ड हैण्डीक्राफ्ट इम्पोरियम (बडी दुकान)	1000.00
84	जेम्स एण्ड हैण्डीक्राफ्ट इम्पोरियम (छोटी दुकान)	500.00
85	रेडीमेट गारमेन्टस (बडी दुकान)	1000.00
86	रेडीमेट गारमेन्टस (छोटी दुकान)	500.00
87	टूर एण्ड ट्रैवल्स	2000.00
88	योग एवं ध्यान केन्द्र	1000.00
89	फोटोग्राफर	500.00
90	टूरिस्ट गाईड	500.00
	दुकान	
91	पान की दुकान	100.00
92	चाय की दुकान	200.00
93	जनरल मर्चेन्ट की दुकान	500.00
94	किताबों की थोक की दुकान	500.00
95	किताबों की फुटकर दुकान	200.00
96	न्यूज पेपर	200.00
97	लकडी के टाल की दुकान (थोक विक्रेता)	1000.00
98	लकडी के टाल की दुकान (फुटकर विक्रेता)	500.00
99	टिम्बर मर्चेन्ट	3000.00
100	रेडियो/मैकेनिक/टी0वी0 मरम्मत	200.00
101	टी0वी0 शॉप/इलेक्ट्रोनिक वस्तुएँ	500.00
102	फर्टिलाईजर शॉप	500.00
103	मिठाई कि दुकान	500.00
104	चाट/बताशे कि दुकान	200.00
105	ड्राई फ्रुट विक्रेता(थोक विक्रेता)	500.00
106	ड्राई फ्रुट विक्रेता(फुटकर विक्रेता)	250.00
107	गैस फिलिंग प्लांट	2000.00
108	सब्जी की दुकान और फल की दुकान	300.00
109	मसाले थोक विक्रेता	500.00
110	फर्नीचर की दुकान(शोरूम)	1000.00
111	फर्नीचर विक्रेता	500.00
112	क्रॉकरी विक्रेता	300.00
113	चूडी विक्रेता	200.00
114	चप्पल जुतों के थोक विकेता	500.00
115	चप्पल जुतो के फूटकर विकेता	250.00
116	देशी शराब की दुकान पर	5000.00
117	विदेशी शराब की दुकान पर	8000.00
118	बार/बियर की दुकान	5000.00
119	भैसां मॉस की दुकान	300.00
120	बकरा मॉस की दुकान	400.00
121	अन्य मॉस की दुकान	400.00
	पशुपालन	
122	प्रति पशु	20.00
123	कान्जी हाउस में बन्द जानवरों में जुर्माना प्रति जानवर	300.00
124	प्रतिदिन खुराक छोटे जानवरों बकरी आदि	100.00
125	प्रतिदिन खुराक बडे जानवरों गाय,भैंस,घोडा आदि	200.00

3–**लाइसेन्स–आवेदक द्वारा लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ दो फोटो** (पासपोर्ट साइज) खींची होनी चाहिए तथा आवेदन में व्यवसाय का मद विवरण भी देना होगा।

4– प्राप्त आवेदन पत्र पर नगर पंचायत द्वारा समुचित विचारोपरान्त 15 दिवस के अन्दर शुल्क लेकर लाइसेन्स दिये जाने का निर्णय लिया जायेगा,जिसकी सूचना आवेदक को विभाग द्वारा दे दी जाएगी।

5–सूची में वर्णित व्यवसायिक लाइसेन्स 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक की अवधि के बीच व्यवसायों द्वारा प्रत्येक दशा में बनवाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक मद के लाइसेन्स की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च(एक वित्तीय वर्ष) तक वैद्य होगी, नियत अवधि तक अगर कोई व्यवसायी अपना लाईसेन्स नहीं बनवाता है तो उसे विलम्ब शुल्क के रूप मे 20/–रू0 प्रति माह की दर से लाईसेन्स शुल्क के अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

6– लाइसेन्स जारी करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत भगवानपुर में निहित होगा।

7–जांचकर्ता को जांच के समय व्यवसाय के सम्बन्ध मे सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व स्वंय व्यवसायी का होगा।

8–व्यवसाय से सम्बन्धित व्यवसायी स्वयं अथवा अपनी एजेन्सी. अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जांच का कार्य सम्पादित करा सकता है,जो नगर पंचायत भगवानपुर के अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वंम या अधिशासी अधिकारी द्वारा नियत कर्मी द्वारा किया जाना मान्य होगा।

9–लाइसेन्स धारक अपना **व्यवसाय बदलता है तो** उसकी सूचना अनिवार्य रुप से एक माह के अन्दर नगर पंचायत भगवानपुर में अपने पुराने लाइसेन्स विवरण के साथ लिखित रुप में उपलब्ध करा देगा।

10–उक्त सूची में वर्णित लाइसेन्सों के नियम का उल्लंघन होने की दशा में लाइसेन्स अधिकारी जनहित में किसी भी समय लाइसेन्स निरस्त कर सकता है।लाइसेन्स अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई का अधिकार अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी में निहित होगा।

शास्ति

उपरोक्त उपनियम का उल्लंघन उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम,1916, (उत्तराखण्ड मे यथा प्रवृत्त) की धारा 29 की उपधारा (1) के अन्तर्गत दण्डनीय होगा जो मु0 1,000.00 रुपया तक ही हो सकता है। उपनियम का उल्लंघन निरन्तर जारी रहने पर अग्रेतर जुर्माना लिया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें व्यवसायी द्वारा निरन्तर अपराध करते रहना सिद्ध हो जाता है तो रु0 25.00 प्रतिदिन तक हो सकता है।यह अधिकार,नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार में अन्तिम रुप से निहित होगा।

नगर पंचायत भगवानपुर, जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) के द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड मे यथा प्रवृत्त) की धारा 128, 296 एवं 298 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भवनों या भूमि या दोनो के वार्षिक मूल्य या दोनो के वार्षिक मूल्य पर भवन/सम्पत्ति कर आरोपित करने के उद्देश्य से नगर पंचायत भगवानपुर जिला हरिद्वार द्वारा "सम्पत्ति/भवनकर उपविधि 2015–16" बनाई गई है। इस उपविधि पर नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 301 (i) के अन्तर्गत नगर पंचायत भगवानपुर (हरिद्वार) द्वारा सार्वजनिक सूचना सं0 39/कर निर्धारण–उपनियम/2015–16 दिनांक 08–07–2015 के माध्यम से जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पडने वाला हो, से आपत्ति एवं सुझाव हेतु "शाह टाईम्स" हिन्दी दैनिक समाचार पत्र मे प्रकाशन कराया गया था। नियत अवधि के अन्तर्गत इस निकाय को उक्त उपविधि पर जनसामान्य से कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नही हुए है। इसलिये इस उपविधि को विधिवत् रूप से नगर पंचायत भगवानपुर क्षेत्र मे लागू करने हेतु अन्तिम रूप से सरकारी गजट मे नोटिफिकेशन प्रकाशित किया जाना है।

"सम्पत्ति/भवनकर उपविधि 2015–16"

1. संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ–
   - क. यह उपविधि नगर पंचायत भगवानपुर "सम्पत्ति/भवनकर उपविधि–2015–16" कहलायेगी।
   - ख. यह उपविधि नगर पंचायत भगवानपुर की सीमा मे प्रवृत्त होगी।
   - ग. यह उपविधि नगर पंचायत भगवानपुर द्वारा प्रख्यापित तथा शासकीय गजट मे प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. परिभाषायें:–

   किसी विषय प्रसंग से कोई वादा प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में–
   - (क) "नगर पंचायत" का तात्पर्य नगर पंचायत भगवानपुर से है।
   - (ख) "सीमा" का तात्पर्य नगर पंचायत भगवानपुर की सीमाओं से है।

(ग) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत भगवानपुर से है।
(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पंचायत भगवानपुर के अध्यक्ष/प्रशासक से है।
(ड) "बोर्ड" का तात्पर्य नगर पंचायत भगवानपुर के निर्वाचित अध्यक्ष/प्रशासक से है।
(च) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड मे यथावृत्त प्रभावी) संशोधन से है।
(छ) "वार्षिक मूल्याकंन" का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा–140 व धारा–141 के अन्तर्गत वार्षिक मूल्य से है।
(ज) "सम्पत्ति/भवनकर" का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा–128 के अन्तर्गत भवनों या भूमि दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर से है।
(झ) "समिति" का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा–104 के अन्तर्गत गठित समिति से है।
(प) "भवन एवं भूमि" का तात्पर्य नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित भवन एवं भूमि से है।
(फ) "स्वामी" का तात्पर्य भवन एवं भूमि के स्वामी से है।
(ब) "अध्यासी" का तात्पर्य नगर पंचायत भगवानपुर सीमान्तर्गत निर्मित भवन एवं भूमि पर किराये मे रहने वाले व्यक्तियों से है।

3. वार्षिक मूल्याकंन–नगर पंचायत भगवानपुर सीमान्तर्गत निर्मित भवन एवं भूमि पर सम्पत्ति/भवनकर निर्धारण हेतु नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा–142(2) के अन्तर्गत कर निर्धारण के प्रयोजन के लिए नगर पंचायत द्वारा समय–समय पर पारिश्रमिक सहित या रहित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों चाहें वे सदस्य हों , या ना हो अथवा संस्था/एजेन्सी नियुक्त किया गया या किये गये व्यक्ति/संस्था/एजेन्सी ऐसे प्रयोजन के लिए किसी सम्बद्ध सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। सम्पत्ति/भवनकर निर्धारण हेतु नियमानुसार वार्षिक मूल्याकंन किया जायेगा।

(क) रेलवे स्टेशनों, कॉलेजों, होटलों, कारखानों, वाणिज्यिक भवनों और अन्य अनावासियो भवनो की दशा मे भवन–निर्माण की वर्तमान अनुमानित लागत लो0नि0वि0 के प्रचलित सैड्यूल रेट और उससे अनुलग्न भूमि की अनुमानित मूल्य तत्समय प्रचलित सर्किल रेट को जोडकर निकाली गयी धनराशि का 5 प्रतिशत से अनाधिक पर वार्षिक मूल्यांकन का आंकलन किया जायेगा।

(ख) खण्ड (क) के उपबन्धो के अन्तर्गत न आने वाली किसी भवन या भूमि की दशा में, यथा स्थिति भवन की दशा में प्रतिवर्ग फुट कारपेट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया दर या भूमि की दशा मे प्रतिवर्ग फुट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया भवन के कारपेट क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल से गुणा किये जाने पर आये 12 गुणा मूल्य से है और इस प्रयोजन के लिए प्रतिवर्ग फुट मासिक किराया दर पर इस प्रकार होगी जैसे कि नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष मे एक बार भवन या भूमि की अवस्थित, भवन निर्माण की प्रकृति, भारतीय स्टाम्प अधिनियम–1899 के प्रयोजन के लिए कलैक्टर द्वारा नियम सर्किल दर के आधार पर नियत किया जाये और ऐसे भवन या भूमि के लिए क्षेत्रफल मे चालू न्यूनतम दर और अन्य कारक इस प्रकार होंगे, जैसे निहित किए जायें।

(ग) खण्ड (क) (ख) के अन्तर्गत न आने वाले किसी भवन या भूमि की दशा मे यथास्थित, ऐसे आवासीय एंव आनावसीय (दुकानात) जो किराये पर उठाये गये हों, उनका वार्षिक मूल्याकंन शहर की प्रचलित बाजार दर अथवा उस क्षेत्र के लिए कलैक्टर द्वारा तत्समय किराये हेतु प्रचलित सर्किल रेट से जो भी अधिकतम हो, के अनुसार किराये के भवन के प्रतिवर्ग फीट या मीटर मासिक किराया दर पर निर्धारण करना होगा और मासिक किराये के 12 गुणा पर मूल्यांकन निर्धारण हेतु किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ नगर पंचायत कि राय में असाधारण परिस्थितियों के कारण किसी भवन का वार्षिक मूल्य, यदि उपर्युक्त निधि से गणना की गयी हो, अत्यधिक हो, वहॉ नगर पंचायत किसी भी कम धनराशि पर जो उसे समयपूर्ण प्रतीत हो, मूल्य नियत कर सकती है।

1– वार्षिक मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए कारपेट क्षेत्र की गणना निम्नलिखित रूप से की जायेगी–

(i) कक्ष– आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप,

(ii) आच्छादित बरामदा– आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप

(iii) बालकोनी, गलियारा, रसोई, घर और भण्डार गृह– आन्तरिक आयाम की 50 प्रतिशत माप,

(iv) गैराज– आन्तरिक आयाम की एक चौथाई माप,

(v) स्नानागार, शौचालय, द्वारमण्डप और जीना से आच्छादित क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफल का अंग नहीं होगा।

2– उ0प्र0 शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम–1972 के प्रयोजन के लिए किसी भवन मानक किराया, या युक्तियुक्त वार्षिक किराये को भवन के वार्षिक गणना करते समय हिसाब में नहीं लिया जायेगा ।

3– सम्पत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु वार्षिक मूल्याकंन हेतु सर्वेक्षण निर्धारित प्रपत्र मे प्रत्येक भवन एवं भूमि का मौके पर निरीक्षण करने के उपरान्त यथास्थित के अनुसार किया जायेगा ।

4– भवन एंव भूमि के वार्षिक मूल्याकंन पर 10 प्रतिशत सम्पत्ति/भवन कर लिया जायेगा, परन्तु निम्नलिखित भवन एंव भूमि अथवा उसके भाग निम्नानुसार कर से मुक्त रहेंगे।

(क) मन्दिर, गुरूद्वारे, मस्जिद अथवा दूसरी धार्मिक संस्थाएं जो सार्वजनिक तथा रजिस्टर्ड ट्रस्ट या संस्था के अधीन हो, परन्तु जो स्थान अथवा स्थानों के भाग से किराये या अन्य प्रकार से आय अर्जित की जाती है उन पर छुट के नियम लागू नहीं होगें।

(ख) अनाथालय, स्कूल, छात्रावास, चिकित्सालय, धर्मशालाएं तथा इस प्रकार से अन्य भवन तथा भूमि जो इस प्रकार की दान की सस्थाओं की सम्पत्तियों और उन्हीं सस्था द्वारा ऐसे कार्य करती हों।

(ग) नगर पंचायत भगवानपुर की समस्त सम्पत्तियॉ।

5– सम्पत्ति/भवनकर पर प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 31 दिसम्बर तक 20 % की छुट प्रदान की जायेगी तथा 01 जनवरी से 31 मार्च तक जमा होने वाले गृहकर पर कोई छुट देय नहीं तथा 31 मार्च के पश्चात जमा होने वाले विगत वर्ष के गृहकर पर 05 % अधिभार देय होगा।

6– कर निर्धारण सूचियो का प्रकाशन– भूमि एंव भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर सम्पत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–141 के अधीन तैयार की गयी सूचियो का प्रकाशन जनसामान्य के अवलोकनार्थ एंव निरीक्षण के लिए नगर पालिका कार्यालय मे अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रदर्शित की जायेगी तथा समाचार पत्र मे इस आशय की सूचना प्रकाशित करते हुए अपील करनी होगी कि पंचवर्षीय गृहकर का निर्धारण किया जा चुका है, जिस किसी व्यक्ति अथवा भवन स्वामी या अध्यासी को कर निर्धारण सूची का अवलोकन एंव निरिक्षण करना हो वे नगर पालिका कार्यालय मे आकर कर निर्धारण सूचियो का अवलोंकन एंव निरीक्षण कर सकते हैं, तथा प्रस्तावित कर निर्धारण की सूचना सम्बन्धित प्रत्येक भवन स्वामी को 15 दिन के अन्दर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु दी जानी होगी और कर निर्धारण सूचियो में प्राप्त आपत्तियों को मौहल्लो/वार्ड द्वारा क्रम संख्यां देते हुए आपत्ति एंव निस्तारण पंजिका मे अंकित किया जायेगा।

7– आपत्तियों का निस्तारण– भूमि एंव भवन के वार्षिक मूल्याकंन अथवा कर निर्धारण पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई एंव निस्तारण हेतु नगर पालिका अधिनियम 1916 कि धारा–104 के अन्तर्गत गठित समिति अथवा समिति गठित न होने के फलस्वरूप अधिशासी अधिकारी द्वारा निम्न प्रकार किया जायेगा/–

(i) प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई हेतु तिथि एंव समय नियत करते हुए आपत्तिकर्ता को लिखित सूचना प्रेषित करनी होगी।

(ii) आपत्तियों के निस्तारण की स्थिति एंव निर्णय सम्बन्धित पत्रावली अथवा आपत्ति निस्तारण पंजिका में जस्टीफिकेशन के साथ दर्ज करनी होगी।

(iii) शासनादेश स0 2054/नौ–9–97–79 दिनाक 28.06.1997 द्वारा वार्षिक मूल्यांकन एंव कर निर्धारण पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई और निस्तारण दिए गए निर्देशानुसार दी जायेगी।

8– कर निर्धारण सूचियों का अभीप्रमाणीकरण और अभिरक्षा–

(क) अधिशासी अधिकारी या इस निर्मित प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, नगर पंचायत क्षेत्र या उसके किसी भाग के क्षेत्रवार किराया दरों और निर्धारण सूची को अपने हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित करेगा।

(ख) इस प्रकार से अभिप्रमाणित सूची को नगर पंचायत कार्यालय मे जमा किया जायेगा।

(ग) जैसे ही सम्पूर्ण नगर क्षेत्र की सूची इस प्रकार से जमा कर दी जाये वैसे ही निरीक्षण हेतु खुले होने के लिए सार्वजनिक सूचना द्वारा घोषणा की जायेगी,

(घ) कर निर्धारण सूचियों मे उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण कारवाई होने के उपरान्त सम्पत्ति/भवन कर मांग एंव वसूली पंजिका मैं अन्तिम रूप से सूची दर्ज करते हुए नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा –166 के अन्तर्गत दावों की वसूली हेतु अग्रेतर कार्यवाही शासन द्वारा समय–समय पर दिए गये निर्देशानुसार करनी होगी।

9– कोई भी व्यक्ति किसी समय भवनों की कर निर्धारण सूची पर अपना नाम स्वामी के रूप में दर्ज करा सकता है और जिस समय तक आवेदन पत्र को अस्वीकार करने का उपयुक्त कारण न हो तो उसका नाम दर्ज कर लिया जायेगा, अस्वीकृति का कारण लिख दिया जायेगा।

10– जब इस बात मे शक हो कि भवन या भूमि पर की जिसका नाम स्वामी के रूप मे दर्ज किया जाये तो बोर्ड या समिति या वह अधिकारी जिसकी बोर्ड ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका एक्ट–1916 की धारा 143–(3) के अधीन हो, यह तय करेगा कि किसका नाम स्वामी के तौर पर दर्ज होना चाहिए। इसका निश्चित उस समय तक लागू रहेगा जब तक सशक्त न्यायालय उसको रदद ना कर दे।

11– (1) अगर किसी ऐसे भवन या भूमि के स्वामी होने का अधिकार जिस पर कर लागू हो, हस्तान्तरित किया जाये तो अधिकार हस्तान्तरित करने वाला या जिसको हस्तान्तरित किया जाये, वह यदि कोई दस्तावेज न लिखी गई हो, तो अधिकार लेने की तिथि से और लिखी गई हो तो दस्तावेज लिखे जाने या रजिस्ट्री होने या हस्तान्तरित होने की तिथि से तीन माह के अन्दर हस्तान्तरित होने की सूचना अध्यक्ष को अथवा अधिशासी अधिकारी को देगा।

(2) किसी ऐसे भवन या भूमि का स्वामी जिस पर कर लागू है, की मुत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी या जो जायदाद का स्वामी हो, इसी प्रकार स्वामी होने से तीन माह के अन्दर सूचना देगा।

12– (1) सूचना में जिसका विवरण पहले दिया गया है, उक्त नियम मे उल्लिखित सभी विवरण सफाई से और ठीक तौर से दिये जायेंगे।

(2) हर ऐसा व्यक्ति जिसको जायदाद हस्तान्तरित की गयी हो, अधिशासी अधिकारी के मांगने पर दस्तावेज (अगर लिखी गयी है) या उसकी एक प्रतिलिपि जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1877 ई0 के अनुसार ली गयी हो, पेश करेगा।

13– उत्तर प्रदेश नगर पालिका एक्ट 1916 की धारा 151 (2) के अधीन कर की थोडी माफी या ऐसी माफी के लिए भवन का स्वामी जिसमें कई किरायेदार रहते हो, भवन पर कर लागू करने के समय बोर्ड से प्रार्थना कर सकता है कि तमाम भवन का कर लागू करने के अलावा हर इस भाग का वार्षिक मूल्य अलग–अलग एक नोट मे दर्ज किया जाये और जब कोई भाग, जिसका वार्षिक मूल्य अलग दर्ज हो गया है या किराये के नब्बे दिन या इससे अधिक समय के लिए किसी साल मे खाली रहा हो तो कुल भवन के कर का वह हिस्सा माफ किया जाये जो कि उक्त एक्ट की धारा 151 (1) के अधीन वापस या माफ किया जाता यदि भवन के भाग पर अलग कर लागू किया होगा।

शास्ति

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा–299 (1) (उत्तराखण्ड मे यथा प्रवृत्त) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके नगर पंचायत भगवानपुर एतद् द्वारा निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधि उल्लघंन करने के लिए अर्थदण्ड रू0 1000.00 (एक हजार) तक हो सकता है और यदि उल्लघंन निरन्तर जारी रहा हो तो प्रथम दोषसिद्धी के दिनांक से ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिनके बारे मे यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, अतिरिक्त जुर्माना किया जा सकता है, जो रू0 100.00 (एक सौ) प्रतिदिन तक हो सकता है।

ह0 (अस्पष्ट)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत भगवानपुर,
जनपद हरिद्वार।

उप जिलाधिकारी,
भगवानपुर
प्रभारी अधिकारी,
नगर पंचायत भगवानपुर,
जनपद हरिद्वार।

नगर पंचायत, भगवानपुर, जिला हरिद्वार

29 जनवरी, 2016

पत्रांक 06/न0पं0भ0–ठेका0 पंजी0–उप0/2015--16–नगर पंचायत, भगवानपुर, जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) के द्वारा उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 296 व 298 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, भगवानपुर क्षेत्र के निर्माण कार्यों को कराने के उद्देश्य से ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियंत्रण उपविधि 2015–16 बनाई गई है। इस उपविधि पर नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–301 (1) के अन्तर्गत नगर पंचायत, भगवानपुर (हरिद्वार) द्वारा सार्वजनिक सूचना सं0 42/ठेकेदारी पंजीकरण उपनियम/2015–16, दिनांक 10–07–2015 के माध्यम से जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, से आपत्ति एवं सुझाव हेतु "राष्ट्रीय सहारा" हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराया गया था। नियम अवधि के अन्तर्गत इस निकाय को उक्त उपविधि पर जनसामान्य से कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए है। इसलिए इस उपविधि को विधिवत् रूप से नगर पंचायत भगवानपुर क्षेत्र में लागू करने हेतु अन्तिम रूप से सरकारी गजट में (नोटिफिकेशन) प्रकाशित किया जाना है :–

ठेकेदारी पंजीकरण एंव नियत्रंण उपविधि 2015–16

1.परिभाषाएं–

(1) यह उपविधि नगर पंचायत भगवानपुर जनपद हरिद्वार के ठेकेदारी पंजीकरण एंव नियंत्रंण उपविधि 2015 कहलायेगी, जो शासकीय गजट मे प्रकाशित होने की तिथि से लागू एंवं प्रभावी होगी।

(2) वह उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवासी हो।

(3) निकाय– निकाय का तात्पर्य नगर पंचायत भगवानपुर से है।

(4) बोर्ड का तात्पर्य नगर पंचायत भगवानपुर के निर्वाचित अध्यक्ष/सभासदों से है।

(5) अधिनियम– अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड मे यथा प्रवृत्त) संशोधन एंव उपान्तरण आदेश 2002 से है।

(6) अध्यक्ष– अध्यक्ष का तात्पर्य ,नगर पंचायत भगवानपुर के अध्यक्ष से है।

(7) प्रभारी अधिकारी– प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत भगवानपुर के प्रभारी अधिकारी से है।

(8) प्रशासक– प्रशासक का तात्पर्य नगर पंचायत भगवानपुर के प्रशासक/जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार से है।

(9) ठेकेदार– ठेकेदार का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो नगर पंचायत भगवानपुर मे समस्त निर्माण कार्य, पुनर्निर्माण, सामग्री आपूर्ति एंव अन्य कार्य जो संविदा के अन्तर्गत आते हों, को करने का इच्छुक व्यक्ति/फर्म हो।

(10) श्रेणी– श्रेणी का तात्पर्य ठेकेदार की प्रथम, द्वितीय एंव तृतीय श्रेणी से है।

2. पंजीकरण की प्रकियाः–

नगर पंचायत भगवानपुर हरिद्वार के निर्माण कार्य (सड़क/नाली/नाला/पुस्ता/अन्य) एंव भवन के निर्माण आदि कार्यों के सम्पादन तथा सामग्री आपूर्ति हेतू ठेकेदार की तीन श्रेणियां होंगी। इच्छुक व्यक्ति प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी मे निम्न शर्तो/औपचारिकताओं को पूर्ण कर अपना पंजीकरण करा सकता हैः–

(1) वह भारत का नागरिक हो तथा नगर पंचायत भगवानपुर सीमान्तर्गत या जनपद हरिद्वार मे कम से कम 5 वर्ष से निवास करता हो, अथवा उत्तराखण्ड राज्य का निवासी हो, का प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट साईज फोटो सहित देनी होगी तथा मूल निवास प्रमाण पत्र व पैन कार्ड नम्बर देना अनिवार्य होगा।

(2) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र (जो छः महीने की अवधि के अन्दर का हो)।

(3) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण पत्र (श्रेणीवार हैसियत सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है)।

अ– प्रथम श्रेणी के लिए	10.00 लाख
ब– द्वितीय श्रेणी के लिए	05.00 लाख
स– तृतीय श्रेणी के लिए	03.00 लाख

(4) प्रथम श्रेणी मे पंजीकरण कराने हेतू लोक निर्माण विभाग, जल निगम, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद, जल संस्थान एंव जिला पंचायत आदि विभागों मे कम से कम सडक/नाली/नाला आदि एंव भवन निर्माण का 05 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र एंव एक वित्तिय वर्ष मे 50.00 लाख के अनुबन्ध (बाण्ड) पत्र देने होंगे। इसके अतिरिक्त स्वंय का तकनीकी अभियन्ता एंव टी0एण्ड0पी0 (मिक्सचर मशीन/बाइबरेटर/जे0सी0बी0/रोड रोलर/प्रिमिक्सिंग मशीन) आदि होने आवश्यक होंगे। अनुभव प्रमाण पत्र अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।

(5) द्वितीय श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतू उपरोक्त विभागों में कम से कम 05 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र एंव एक वित्तिय वर्ष मे 25.00 लाख के अनुबन्ध (बाण्ड) पत्र देने अनिवार्य होगे (अनुभव प्रमाण पत्र उपरोक्तानुसार जारी ही मान्य होगा)।

(6) तृतीय श्रेणी में पंजीकरण हेतू उत्तराखण्ड सरकार/भारत सरकार के किसी भी विभाग तथा प्रथम श्रेणी के ठेकेदार द्वारा जिसके साथ कम से कम 03 वर्ष कार्य किया हो, का अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा।

(7) प्रत्येक ठेकेदार, आयकर एंव व्यापार कर विभाग मे पंजीकृत होना अनिवार्य है, तथा आयकर एंव व्यापार कर का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

(8) ठेकेदार का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत भगवानपुर मे निहित होगा।

3– जमानत राशि–

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार स्थायी जमानत राशि जो राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) अथवा किसान विकास पत्र के रूप मे अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत भगवानपुर के नाम से बन्धक कर आवेदन पत्र के साथ देनी होगी।

अ– प्रथम श्रेणी के लिए	20,000.00
ब– द्वितीय श्रेणी के लिए	15,000.00
स– तृतीय श्रेणी के लिए	10,000.00

4– पंजीकरण शुल्कः–

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार पंजीकरण शुल्क की धनराशि नगद रूप मे नगर पंचायत, भगवानपुर के कोष मे जमा करनी होगी।

(अ)– प्रथम श्रेणी के लिए	8,000.00
(ब)– द्वितीय श्रेणी के लिए	5,000.00
(स)– तृतीय श्रेणी के लिए	3,000.00

5– पंजीकरण की अवधिः–

प्रत्येक वर्ष मे माह 01 अप्रैल से 31 जुलाई तक ठेकेदारों के पंजीकरण किये जायेंगे। पंजीकरण हेतू निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप रू0 100.00 नगर पंचायत कोष मे जमा कर क्रय करना होगा तथा पंजीकरण हेतू आवेदन पत्र निर्धारित रूप में ही मान्य होगा, जो अवर अभियन्ता की संस्तुति पर अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा तथा अगर उक्त अवधि के अन्तर्गत ठेकेदार अपना पंजीकरण नहीं करा पाता है तो नियत शुल्क के अतिरिक्त पंजीकरण कराने हेतू रू0 1000.00/– अधिक देना होगा। यह सुविधा वर्ष के माह सितम्बर तक ही मान्य होगी।

6–नवीनीकरण की प्रकियाः–

(1) ठेकेदारों को प्रत्येक 2 वर्ष में निम्न श्रेणी के अनुसार अपना नवीनीकरण कराना होगाः–

(2) नवीनीकरण कराने की अवधि 01 अप्रैल से 31 जुलाई तक होगी। इसके पश्चात् नवीनीकरण कराने पर प्रतिमाह रू0 1,000.00 विलम्ब शुल्क का भुगतान कर नवीनीकरण किया जायेगा।

(3) नवीनीकरण से पूर्व प्रत्येक ठेकेदार को एक निर्धारित प्रारूप पर जिसका मुल्य रू0 100.00 होगा, नगर पंचायत, भगवानपुर कार्यालय से क्रय कर विगत वर्ष मे किये गये कार्यो का विवरण देना होगा।

(4) नवीनीकरण शुल्क निम्न श्रेणी के अनुसार नगर पंचायत भगवानपुर के कोष मे जमा कराने तथा
विगत वर्ष मे किये गये कार्यो के विवरण पर नगर पंचायत भगवानपुर के अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगीः–

(अ) प्रथम श्रेणी के लिए	5,000.00
(ब) द्वितीय श्रेणी के लिए	3,000.00
(स) तृतीय श्रेणी के लिए	2,000.00

(5) अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि यह किसी भी ठेकेदार के पंजीकरण के नवीनीकरण को उसके त्रुटिपूर्ण कार्य के लिए रोक सकता है अथवा निरस्त करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा।

(6) ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन/पंजीकरण करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा।

(7) ठेकेदार द्वारा नगर पंचायत द्वारा दिये गये निर्माण कार्यों के ठेके में ठेकेदार निर्धारित मानको के अनुरूप कार्य नही करता है तो उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार बोर्ड/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी नगर पंचायत भगवानपुर में निहित होगा, जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित ठेकेदार किसी भी न्यायालय मे वाद दायर नहीं करेगा।

7– निर्माण कार्य की निविदा प्रपत्र लेने की सीमाः–

प्रत्येक श्रेणी के ठेकेदारों को निम्नानुसार निर्माण कार्य की निविदा प्रपत्र (टेण्डर फार्म) लेने का अधिकार होगाः–

(1) प्रथम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार सभी प्रकार (असीमित धनराशि के) निर्माण कार्यो के निविदा प्रपत्र (टेण्डर फार्म) लेने का अधिकार होगा।
(2) द्वितीय श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार रू0 05.00 लाख तक के निर्माण कार्यो के निविदा प्रपत्र (टेण्डर फार्म) लेने का अधिकार होगा।
(3) तृतीय श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार रू0 3.00 लाख तक के निर्माण कार्यो के निविदा प्रपत्र (टेण्डर फार्म) लेने का अधिकार होगा।

8– निविदा प्रपत्र का मुल्यः–

निविदा प्रपत्र का मूल्य निर्माण कार्य के व्यय अनुसार (आगणन) धनराशि पर निम्न प्रकार निर्धारित किया जायेगा:–

कार्यो की लागत (रूपये मे)	निविदा प्रपत्र मूल्य (रूपये मे)
अ– 50,000.00 तक	200.00
ब– 50,000.00 से 1,00,000.00 तक	400.00
स– 1,00,000.00 से 2,00,000.00 तक	800.00
द– 2,00,000.00 से 4,00,000.00 तक	1000.00
य– 4,00,000.00 से 8,00,000.00 तक	1100.00
र– 8,00,000.00 रूपये से ऊपर के कार्यो के प्रपत्र पर निविदा मूल्य पर रू0 1000.00/– निर्माण कार्य की लागत पर 10.00 रूपये के हिसाब से गणना कर निर्धारित किया जायेगा।	1200.00

प्रत्येक ठेकेदार विभागीय कार्यो का ठेका लेने के लिए नगर पंचायत, भगवानपुर से निविदा प्रपत्र नकद मूल्य देकर खरीदेगा। निविदा प्रपत्र मूल्य जमा होने के पश्चात् किसी स्थिति में न तो वापिस होगा और न ही आगामी निविदाओं में समायोजित होगा। निविदा प्रपत्र नगर पंचायत, भगवानपुर के पंजीकृत ठेकेदारों को ही विक्रय किया जायेगा।

9– निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकारः–

ठेकेदार द्वारा डाली गई निविदाओं मे न्यूनतम निविदाओं को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी नगर पंचायत भगवानपुर का होगा, किन्तु यदि न्यूनतम निविदा आंकलन से ठेकेदार के 10 प्रतिशत लाभ घटाने के बाद भी कम है, तो इस पर तकनीकी राय लेकर निर्णय लिया जायेगा। निविदा डालने के 6 माह तक उन्हीं दरों पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा। यदि ठेकेदार को निविदा डालने की तिथि से 6 माह बाद कार्य आदेश दिया जाता है तो ठेकेदार उन दरों पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

10– निर्माण कार्य की धरोहर राशिः–

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ती (प्रीक्यूरमेंट पॉलिसी) नियम 2008 मे किये गये प्रावधान के अनुसार स्थायी जमानत/धरोहर धनराशि निविदा के साथ राष्ट्रीय बचत पत्र किसान विकास पत्र एंव एफ0डी0आर0 के रूप मे अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत भगवानपुर के पदनाम बन्धक होगी।

11– न्यूनतम निविदा पर कार्य की जमानत राशिः–

न्यूनतम निविदा दाता ठेकेदार को कार्य की न्यूनतम निविदा पर जिसको सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो, पर 10 प्रतिशत की दर से राष्ट्रीय बचत पत्र व एफ0डी0आर0 आदि के रूप में जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत भगवानपुर के पदनाम बन्धक होगी जमा करनी होगी।

12– ठेकेदार का भुगतानः–

कार्य समाप्ति के पश्चात् ठेकेदार का कार्य सन्तोषजनक होने पर नियमानुसार बिल की धनराशि से समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुसार आयकर, व्यापार कर एंव जमानत की राशि काटने के उपरान्त भुगतान किया जायेगा तथा कार्य की जमानत राशि का भुगतान/वापसी 6 माह बाद कार्य सन्तोषजनक होने पर अवर अभियन्ता की संस्तुति पर किया जायेगा।

13– कार्य पूर्ण करने की अवधिः–

प्रत्येक पंजीकृत ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि कार्य के अनुबन्ध पत्र (एग्रीमेन्ट) में दी गई कार्य अवधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करे। यदि समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तथा उसकी कार्य अवधि बढाने हेतू ठेकेदार द्वारा समय समाप्ति से पूर्व औचित्य स्पष्ट करते हुए प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो अवर अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा कार्य अवधि बढ़ाने की स्वीकृति एक बार प्रदान की जा सकती है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी अवधि के लिए अवशेष कार्य पर 5 प्रतिशत की दर से अन्तिम बिल की धनराशि से अर्थदण्ड के रूप मे कटौती कर ली जायेगी, यदि इस धनराशि की प्रतिपूर्ति बिल की धनराशि से नहीं हो पाने की स्थिति मे दण्ड की अवशेष धनराशि की वसूली भू–राजस्व के बकाया की भाँति सम्बन्धित ठेकेदार से की जायेगी।

14– निर्माण कार्य पर स्टाम्प ड्यूटी का लगनाः–

ठेकेदार को निर्माण कार्य के अनुबन्ध पत्र के साथ नियत स्टाम्प लगाना अनिवार्य होगा।

15– पंजीकरण का निरस्तीकरणः–

यदि ठेकेदार निर्धारित तिथि तक कार्य प्रारम्भ नहीं करता है अथवा कार्य सन्तोषजनक गुणवत्ता के अनुसार स्वीकृत स्टीमेंट व साईट प्लान के अनुरूप नहीं करता है अथवा नगर पंचायत के किसी कार्मिक के साथ अव्यवहार एंव अभद्रता करता है या किसी प्रकार का अनुचित दबाव डालता है, तो ऐसी स्थिति मे अवर अभियन्ता एंव अधिशासी अधिकारी की जॉच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा ठेकेदार के पंजीकरण को निरस्त कर ऐसे ठेकेदार को काली सूची मे डाल सकता है। पंजीकरण निरस्तीकरण के फलस्वरूप ठेकेदार का ठेका स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और ठेकेदार द्वारा किये गये कार्यो का भुगतान नगर पंचायत को हुई हानि के समायोजन के पश्चात् किया जायेगा ।

16– जमानत जब्त करने का अधिकारः–

यदि ठेकेदार नगर पंचायत, भगवानपुर के उपनियमों या ठेके की शर्तो अनुबन्ध–पत्र का उल्लघंन कर नगर पंचायत, भगवानपुर को कोई हानि पहुॅचाता है या उपविधि के नियम 13 के विपरित कार्य करता है तो ऐसी दशा मे अवर अभियन्ता एंव अधिशासी अधिकारी की जॉच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी को ठेकेदार की जमानत जब्त करने का अधिकार होगा। यदि इसके बाद भी नगर पंचायत भगवानपुर की क्षतिपूर्ति न हो सकें तो शेष राशि ठेकेदार की सम्पत्ति से भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी।

ह0 (अस्पष्ट)

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, भगवानपुर,
जनपद हरिद्वार।

ह0 (अस्पष्ट)

उप जिलाधिकारी,
प्रभारी अधिकारी,
नगर पंचायत, भगवानपुर,
जनपद हरिद्वार।

नगर पंचायत, भगवानपुर, जनपद हरिद्वार

12 अप्रैल, 2016

पत्रांक 61/न0पं0भ0–तह0 उप0/2016–17–नगर पंचायत, भगवानपुर, जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) के द्वारा उ0 प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 293 व 298 एवं 301 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, भगवानपुर क्षेत्र में अपनी सीमा में तहबाजारी को नियंत्रित करने हेतु तहबाजारी उपविधि, 2015–16 बनायी गयी है, इस उपविधि पर नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–301 (1) के अन्तर्गत नगर पंचायत, भगवानपुर (हरिद्वार) द्वारा सार्वजनिक सूचना सं0 10 (xiii)/कर निर्धारण–उपनियम/2015–16, दिनांक 02–02–2016 के माध्यम से जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, से आपत्ति एवं सुझाव हेतु "हिन्दुस्तान" हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराया गया था। नियत अवधि के अन्तर्गत इस निकाय को उक्त उपविधि पर जनसामान्य से कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिए इस उपविधि को विधिवत् रूप से नगर पंचायत क्षेत्र भगवानपुर, जिला हरिद्वार क्षेत्र में अर्थात् सीमा के अन्तर्गत लागू करने हेतु अन्तिम रूप से सरकारी गजट में (नोटिफिकेशन) प्रकाशित किया जाना है :–

तहबाजारी उपविधि 2015–16

नियमावली:–

1. नाम व विस्तार:–
   (अ) यह उपविधि नगर पंचायत भगवानपुर, जनपद हरिद्वार उपविधि 2015–16 तहबाजारी कहलायेगी तथा नगर पंचायत भगवानपुर की सीमा मे प्रवृत्त लागू होगी।
   (ब) यह उपनियम/उपविधि दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च तक प्रवृत्त होंगें।
2. परिभाषाएं:– विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकुल न होने पर ।
   (क) उपनियम का तात्पर्य यथा संशोधित उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 उत्तराखण्ड मे यथा प्रवृत्त) से है।
   (ख) नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत भगवानपुर, जिला हरिद्वार से है।
   (ग) अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत भगवानपुर के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी से है।
   (घ) तहबाजारी से तात्पर्य लोक निर्माण विभाग की सड़क, सार्वजनिक भूमि, नगर पंचायत भगवानपुर की सडक व भूमि इत्यादि से है। उक्त तहबाजारी उपनियम उक्त अधिनियम की धारा 293(1) 298(2) (ज) (ड) व धारा 300, 300(1) के अन्तर्गत बनाये गये हैं।

उपनियम

1.(क) नगर पंचायत भगवानपुर की सीमा के अन्दर जो व्यक्ति सरकारी जगह/सड़क आदि का व्यापारिक रूप मे प्रयोग करेगा, उसको रू0 5.00 प्रति वर्ग मी0 तथा कम से कम रू 10.00 तहबाजारी शुल्क प्रतिदिन देना होगा।

(ख) यदि कोई दुकानदार अपनी दुकान के सामने अथवा किराये की दुकान के सामने सरकारी भूमि के उपयोग करने पर तहबाजारी शुल्क रू0 5.00 प्रति वर्ग मीटर या कम से कम रू0 10.00 प्रति दिन देय होगा।

सरकारी सडक पर फेरी मे सौदा देने/बेचने पर तथा अन्य प्रकार से तहबाजारी शुल्क निम्नवत् देय होगा।

1.सिर पर या शरीर पर कपडा बेचने वाले अथवा दवाई बेचने वाले एजेन्ट पर।.....5.00 रू0
2.अन्य सभी फेरी वालों पर।.....5.00 रू0
3.साईकिल पर सौदा/सामान बेचने वालो पर।..... 5.00 रू0
4.साईकिल पर कोयला व दुध आदि बेचने वालो पर।.....5.00 रू0
5.घोडा खच्चर आदि पर सौदा बेचने वालो पर।..... 5.00 रू0
6.रेडी ठेली जो एक स्थान से दूसरे पर खडे होकर सौदा बेचते हैं।.....10.00 रू0
7.रेडी ठेली जो एक स्थान पर खडे होकर सौदा बेचते हों।.....10.00 रू0
8.भैसां बुग्गी, खच्चर/ठेला/घोडा तांगा व बैलगाडी पर सामान बेचते हो।.....10.00 रू0
9.घोडा तांगा/भैंसा बोग्गी आदि मे मिटटी के थुऐं/उपले/मिटटी के बर्तन व घास बेचते हों।.....10.00 रू0
10. स्टेशन वैगन लारी/ट्रक/बड़ा वाहन आदि जो सामान उतारता अथवा लादता हो।.....50.00 रू0
11. टैम्पों, छोटा हाथी/ट्रैक्टर ट्राली आदि जो सामान उतारता अथवा लादता हो।.....20.00 रू0

12.मोटर साईकिल. मोपेड अथवा स्कुटर आदि से फेरी पर दुध बेचने पर।.....10.00रू0
13.सवारी बसें/ मिनी बस आदि जो सडक को स्टैन्ड के रूप में उपयोग करे प्रतिदिन |.....20.00 रू0
14.सवारी थ्री व्हीलर/टैम्पों(विक्रम) आदि जो सडक को स्टैन्ड के रूप मे प्रयोग करें अर्थात जो टैम्पों/विक्रम नगर पंचायत भगवानपुर की सीमा मे सवारी बैठाता/उतारता हों।.....10.00 रू0
15. मोटरसाइकिल इजंन आदि वाले रेडे से सामान लादने एवं उतारने पर तथा ई–रिक्शा पर।.....5.00 रू0

3 .नगर पंचायत की सीमा के अन्दर सरकारी सडक पर या जगहों पर या हाथ मे लाये हुए मिट्टी के थुऐं लकडी, कली, चूना, पुले, तीर, हॉडी, घडे, रस्सी, बान, पंखे आदि पर कोई तहबाजारी शुल्क देय नहीं होगा।

4. इस नियम के अनुंसार शुल्क अदा न करने पर अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी/मेम्बर इंचार्ज/नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को अधिकार होगा कि वह उस सम्बन्धित व्यक्ति का सामान उठाकर नगर पंचायत कार्यालय मे दाखिल करा देगा और यदि किसी मालिक का सामान यदि खराब होने वाला है तो उसको तुरन्त नगर पंचायत भगवानपुर नीलाम कर देगी ओर खराब न होने की दशा मे एक माह की प्रतीक्षा करने के पश्चात नीलाम

कर दिया जायेगा। सामान नीलाम करने पर जो धन प्राप्त होगा उसे शुल्क तहबाजारी के दस गुणा तक अथवा जितना अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी नियत करें काटकर शेष मालिक को लौटा दिया जायेगा अथवा वाद भी योजित किया जा सकता है।

4.(अ) उपरोक्त धारा 4 के अनुसार कार्यवाही से जो धनराशि प्राप्त होगी, उस धन से यदि तहबाजारी ठेके पर है तो ठेकेदार को वाजिब शुल्क दे दिया जायेगा और शेष धन नगर पंचायत निधि में जमा कर दिया जायेगा। उक्त कार्यवाही तहबाजारी वसूल करने वाले के लिखित प्रार्थना पत्र पर ही की जायेगी।

5. सरकारी सड़कों या नगर पंचायत की भूमि आदि के प्रयोग पर केवल ठेकेदार/, ठेकेदार का मुन्शी या नगर पंचायत के कर्मचारी ही तहबाजारी शुल्क वसूल करेगा और किसी को तहबाजारी शुल्क वसूल करने का अधिकार न होगा।

6. शुल्क लेने–देने वाले के बीच यदि कोई झगडा या वाद–विवाद उत्पन्न हो जाये तो अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत भगवानपुर का निर्णय मान्य होगा।

7. तहबाजारी शुल्क वसूल करते समय नगर पंचायत भगवानपुर के कर्मचारी ठेकेदार या ठेकेदार के मुन्शी को शुल्क अदा कर्ता को रसीद देनी होगी जो रसीदें उपयोग मे लायी जायेंगी वह नगर पंचायत के द्वारा निर्धारित प्रारूप पर नियमानुसार छपवाई जायेगी तथा प्रयोग से पूर्व नगर पंचायत भगवानपुर के अधिशासी अधिकारी के द्वारा प्रमाणित होगी तथा प्रयोग के उपरान्त नगर पंचायत कार्यालय मे जमा करनी होगी।

(क) नगर पंचायत के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी अथवा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ठेकेदार अथवा ठेकेदार के मुन्शी से किसी भी समय काउन्टर फाईल मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।

8. उपनियम तहबाजारी की कार्यवाही नियंत्रित करने का अधिकार अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी को होगा।

9. ठेके पर दी गई जगह/स्थान की नगर पंचायत को यदि सरकारी कार्य के लिए आवश्यकता पडे तो ठेकेदार उस जगह/स्थान को अधिकार मे लेने से नगर पंचायत को नहीं रोक सकेगा अगर सम्भव हुआ तो उचित मुआवजा ठेकेदार को दे दिया जायेगा। यदि मुआवजे के बारे मे कोई झगडा हो तो जिलाधिकारी/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष नगर पंचायत का निर्णय अन्तिम होगा।

10. सरकारी सड़क पर तहबाजारी दुकानदारों को स्थायी दुकानों के सामने रास्ते की एक मीटर चौडी जगह छोड कर सामान आदि लगाकर बैठने का अधिकार होगा जिस पर स्थायी दुकानदार को कोई आपत्ति न होगी।

11. नगर पंचायत तहबाजारी शुल्क ठेके पर अथवा अमानी पर वसूल करायेगी। तहबाजारी का ठेका 01 अप्रैल से 31 मार्च तक का दिया जायेगा। ठेके की बोली वही व्यक्ति दे सकेगा जो रू0 10,000.00 (रूपये दस हजार मात्र) नीलाम से पूर्व बोली की जमानत राशि जमा करेगा। नगर पंचायत भगवानपुर

के किसी बकायेदार को बोली का अधिकार नहीं होगा। बोली छुटने पर तुरन्त ठेकेदार को ठेके की धनराशि का 1/4 धन नगर पंचायत कार्यालय मे तुरन्त जमा करना होगा यदि वह तुरन्त जमा नही करता है तो उसके द्वारा जमा नीलामी की अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा ठेका दूसरी उच्चतम बोलीदाता के नाम छोड दिया जायेगा, यदि वह भी ठेके की राशि का 1/4 भाग नगर पंचायत कार्यालय मे तुरन्त जमा नहीं करता है तो उसके द्वारा जमा अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा ठेका तृतीय उच्च्तम बोलीदाता के नाम छोड दिया जायेगा यदि वह भी ठेके की 1/4 धनराशि जमा नहीं करता है तो उसकी भी धनराशि जब्त कर ठेका पुनः नीलाम किया जायेगा। यदि पुनः नीलाम करने पर पंचायत को कोई हानि होती है तो व्यवहारिक न्यायलय में वाद दायर करके प्रथम उच्च्तम बोली देने वाले से वसूल की जायेगी। यदि लाभ होता है तो वह नगर पंचायत का होगा।

11(अ) ठेके की 1/4 धनराशि वसूल न होने तक प्रथम, द्वितीय व तृतीय एवं उच्चतम बोली दाताओं की ठेके की बोली के धनराशि वापस नहीं की जायेगी शेष बोलीदाताओं की बोली समाप्त होते ही वापस कर दी जायेगी। ठेके की 1/4 धनराशि नगर पंचायत कोष मे जमा होने के पश्चात् द्वितीय व तृतीय बोलीदाताओं की बोली की जमानत धनराशि वापिस कर दी जायेगी।

11(ब) ठेका छुट जाने पर ठेकेदार को ठेके की धनराशि की 5 प्रतिशत राशि को राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप मे पोस्ट आफिस मे अधिशासी अधिकारी के पदनाम से बन्धित करके पास बुक कार्यालय नगर पंचायत भगवानपुर में जमा करनी होगी। प्रतिभूति की यह धनराशि ठेका समाप्त होने के तीन माह के उपरान्त वापस की जायेगी। जिसमें ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।

12. प्रतिभूति धनराशि पर सरकार द्वारा समय समय पर निर्देशित करों मे नियत शासकीय स्टाम्प पर अनुबन्ध अपने खर्चे पर देना होगा।

13. यदि ठेका नीलाम होने के तीन दिन के अन्दर कोई प्रार्थना पत्र 10 प्रतिशत अथवा अधिक बढोतरी का आता है तो ठेका प्रार्थना पत्र देने वाले को दिया जा सकता है। जिसमें सबसे उच्च बोली दाता को कोई उजर–वसर नहीं होगा। यदि उच्च्तम बोलीदाता/ठेकेदार ठेका छोड़ दे तो ठेका दोबारा नीलाम कर दिया जायेगा तथा ठेके की कमी धनराशि को ठेका छोड़ने वाले से वसूल किया जायेगा और उसके द्वारा जमा धन जब्त कर लिया जायेगा। जिसका ठेकेदार को कोई उजर नहीं होगा और न ही ठेकेदार किसी न्यायालय मे वाद योजित करेगा।

14. ठेके की शेष धनराशि निम्न किस्तो मे अर्थात अप्रैल, जून, तथा अक्टूबर को जमा की जायेगी। अग्रिम के रूप मे जमा की गई 1/4 धनराशि प्रथम किस्त के रूप मे मानी जायेगी। देय माह की तीन तारीख तक ठेकेदार द्वारा ठेके की किस्त जमा न करने पर ठेकेदार को रू0 10.00 प्रतिदिन की दर से पेन्लटी के रूप मे राशि जमा करनी होगी। एक सप्ताह उपरान्त यदि किस्त जमा नहीं की जाती है तो ठेका निरस्त कर दोबारा उपरोक्त धारा 11 के अन्तर्गत नीलाम किया जायेगा। जिसका ठेकेदार को कोई उजर–वसर नहीं होगा और न ही ठेकेदार ठेके के निरस्तीकरण के सम्बन्ध मे किसी भी न्यायालय मे वाद योजित करेगा।

15. ठेकेदार यदि उपरोक्त उपनियमों का उल्लंघन करेगा तो अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी को अधिकार होगा कि वह सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा जमा राशि को जब्त कर ले।

16. उपरोक्त उप नियम की किसी भी धारा का यदि ठेकेदार उल्लंघन करता है और किस्ते समय पर जमा नहीं कर पाता तो वसूली अधिनियम 1916 की धारा 299(1) के अन्तर्गत की जायेगी।

17. पैठ अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार जहां उपयुक्त समझें, लगेगी इसमें किसी भी दुकानदार/अन्य व्यक्ति को उजर (आपत्ति) न होगी।

दण्ड

यदि उक्त नियमावली की किसी भी धारा का उल्लंघन होता है तो नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299 (1) के अन्तर्गत अपराध माना जायेगा तथा जो व्यक्ति/ठेकेदार इसका उल्लंघन करेगा या करने को प्रोत्साहन देगा तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी इसके अन्तर्गत रू0 5000.00 (रू0 पॉच हजार मात्र) तक अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकेगा तथा प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक से रू0 20.00 प्रतिदिन अतिरिक्त दण्ड से दण्डनीय होगा।

ह0 (अस्पष्ट)

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, भगवानपुर,
जिला हरिद्वार।

ह0 (अस्पष्ट)

प्रभारी अधिकारी,
नगर पंचायत, भगवानपुर,
जिला हरिद्वार।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 22 हिन्दी गजट/233–भाग 8–2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।